

कार्यालय मुख्य अभियंता सार-
व्यवस्थापन 'घ' वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

संख्या- 2916 / 07 व्यप-सह/09

दिनांक- 04 / 10 / 09

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त अभियंता को उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत विभिन्न भारत सरकार कार्यालय एवं लोक निर्माण मंत्रालय के आदेश संख्या- 27/9/2001-एमआरओ(एस) दिनांक 11.09.2001 एवं संदेश संख्या- 27/01/2006 एमआरओ(एस) दिनांक 31.07.2008 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सरकार से संलग्न प्रेषित निम्नवत् 2009 एवं उत्तराखण्ड सरकारी सेवा ज्योत्सवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2009 में प्रतिपादित विधानों के अनुसार अभियंता एवं सहायक एवं सहायक एवं सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त अभियंताओं को नियुक्त ज्योत्सवा सूची इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या- 2208/07 व्यप-सह/09 दिनांक 21.07.2009 द्वारा प्रकाशित किये गये दिनांक 07.08.2009 तक प्रत्येक के सम्बन्ध में अधिसूचना अर्थात् की गयी थी।

एतत् कार्यालय के ज्ञाप संख्या- 2820/07 व्यप- सह/09 दिनांक 13.08.2009 द्वारा अभियंता (सिविल/ विद्युत/ सैनिक/ प्रविधिक एवं मानचित्रकारी) की प्रकाशित अनन्तिम ज्योत्सवा सूची के निम्न भाग अधिसूचना/ प्रकाशितों के निम्नवत् हेतु एक 04 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।

अभियंता (सिविल) की प्रकाशित अनन्तिम ज्योत्सवा सूची के विरुद्ध प्राप्त अभियंता/ प्रकाशितों के निम्नवत् हेतु दिनांक 18.09.2009 एवं उसके उपरान्त समय- समय पर आहुत बैठकों में समिति द्वारा कार्य अधिसूचना/ प्रकाशितों का सम्यक विचारोन्मुख किये गये निर्णय अनुसार ज्योत्सवा सूची में संशोधन किया गया है।

पत्रांक-2916/07व्यघ-सा0/09 दिनांक 01/10/09 द्वारा जारी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अंतिम ज्येष्ठता सूची (द्वयम भाग)

क्र. सं.	नाम सर्व श्री	पिता का नाम सर्व श्री	जन्म तिथि	जाति	विभाग व नियुक्ति की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	सलील कुमार सिंघल	रम कल्याण सिंह	21.03.51	सामान्य	18.01.72	एम्प्लॉयमेंट, भारत सरकार का पत्र सं. 27/01/2008 एम्प्लॉयमेंट दिनांक 21.07.08
2	सलील लाल अरोड़ा	विजयपाल सिंह	15.07.46	सामान्य	08.03.72	सीनियर (अवकाशित)
3	विजय कुमार गर्ग	हरिश्चंद्र चन्द गुप्ता	21.07.47	सामान्य	28.08.73	सीनियर (अवकाशित)
4	कमलेश मिश्रा	चमनचरण मिश्रा	08.01.51	सामान्य	27.12.72	एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिकल व मशीन एम्प्लॉयमेंट, भारत सरकार का पत्र सं. 27/01/2008 एम्प्लॉयमेंट दिनांक 21.07.08
5	गणेश प्रसाद धिरेन्द्रपाल	हरिहर धिरेन्द्रपाल	20.02.47	सामान्य	05.01.71	अवकाशित
6	प्रकाश अमर ठाकुर	मुरारि ठाकुर	08.09.47	सामान्य	12.02.71	अवकाशित
7	महा राज किशोर मिश्रा	विशम्भर नारायण मिश्रा	01.11.47	सामान्य	07.08.72	अवकाशित
8	सुरेश कुमार मधुसूदन	श्रीधर	08.03.49	सामान्य	26.06.73	अवकाशित
9	रमेश सिंह	हरि सिंह	20.01.43	सामान्य	04.06.73	अवकाशित
10	मोहन लाल गुप्ता	रामलाल गुप्ता	01.10.43	सामान्य	02.05.70	अवकाशित
11	मुकेश चंद गर्ग	विश्वरूप चंद	12.10.43	सामान्य	15.04.70	अवकाशित

(02/07)

12	अनन्त बलराम पन्त	अनन्त पन्त	03.10.44	सामान्य	03.06.73	संवर्धित
13	शिवराज सिंह पन्त	शिवराज सिंह	01.01.50	सामान्य	29.12.73	संवर्धित
14	अनिलकुमार कुमार	पद्म कुमार	01.01.48	सामान्य	28.06.73	संवर्धित
15	शशिन्द्र बलराम पन्त	शशिन्द्र पन्त	28.04.45	सामान्य	30.06.73	संवर्धित
16	राजेश्वर नाथ दुर	राजेश्वर दुर	11.04.46	सामान्य	29.07.73	संवर्धित
17	बन्धुसखर शर्मा	पद्म नाथ	15.07.45	सामान्य	30.07.73	संवर्धित
18	सत्यदीप सिंह	सिद्ध सिंह	02.02.50	सामान्य	05.11.73	संवर्धित
19	राजेश्वर प्रसाद जोशी	कुल बन्ध जोशी	02.07.45	सामान्य	04.08.73	संवर्धित
20	मदन लाल अरोड़ा	बंश राज अरोड़ा	12.05.47	सामान्य	26.08.73	संवर्धित
21	कल्याण सिंह	दिनेश सिंह	01.04.45	सामान्य	29.08.72	संवर्धित
22	अनन्त उन्मियाल	नारायण बल उन्मियाल	17.03.43	सामान्य	29.08.73	संवर्धित
23	अनन्त सिंह ठापा	मुरारि सिंह ठापा	02.05.44	सामान्य	21.06.73	संवर्धित
24	अनिल कुमार शर्मा	शिव शर्मा शर्मा	11.07.50	सामान्य	23.06.73	संवर्धित
25	शिवराज जोशी	कुलदी जोशी	01.01.45	सामान्य	17.03.73	संवर्धित

18

26	अजीत कुमार सिन्हा	प्रमोद चन्दास प्रसाद	07.07.50	सामान्य	28.03.73	तदर्थ सहायक अभियन्ता में पदोन्नति एचएचएलएन भारत सरकार का पत्र सं 27/01/2006 एचएचएलएलएल दिनांक 27.01.2006
27	गंगा राम डेन	जवाहर सिंह	01.04.49	सामान्य	20.12.72	संपत्तिपुत्र
28	हरिहर जौरी	चन्द्रमणि जौरी	03.07.50	सामान्य	10.11.72	तदर्थ सहायक अभियन्ता में पदोन्नति
29	सुरेशचन्द्र पेंडुरी	राधाचन्द्र पेंडुरी	15.11.50	सामान्य	20.04.73	तदर्थ सहायक अभियन्ता में पदोन्नति
30	पुष्प कर्मा	सीतलधर	01.01.45	सामान्य	31.01.73	संपत्तिपुत्र
31	विजय किशोर	मोहन लक्ष्मण रावरीना	01.03.47	सामान्य	01.03.80	एचएचएलएल भारत सरकार का पत्र सं 27/01/2006 एचएचएलएलएल दिनांक 27.01.06, संपत्तिपुत्र
32	रामचन्द्र सिंह चौहान	चन्दन सिंह	02.07.47	सामान्य	29.01.72	संपत्तिपुत्र
33	कृष्ण सिंह	रघुनाथ सिंह	08.02.46	सामान्य	17.11.72	संपत्तिपुत्र
34	नरेश चन्द्र	सुखवीर सिंह	14.12.49	सामान्य	30.08.72	तदर्थ सहायक अभियन्ता में पदोन्नति एचएचएलएल भारत सरकार का पत्र सं 27/01/2006 एचएचएलएलएल दिनांक 27.01.06
35	बलवीर धार स्मिता	समरचन्द्र स्मिता	15.02.50	सामान्य	10.09.73	तदर्थ सहायक अभियन्ता में पदोन्नति
36	कल्याण सिंह	मिरजान सिंह	14.08.50	सामान्य	10.11.72	तदर्थ सहायक अभियन्ता में पदोन्नति
37	विजय कुमार वर्मा	समराज वर्मा	26.01.51	अभियन्ता	27.12.72	

35	अजीज कुमार शर्मा	समस्तकर्म शर्मा	26.07.51	सामान्य	38.01.72	सर्वोत्तम अतिरिक्त में प्रशिक्षण
39	अनन्द प्रकाश कुमाल	विष्णु दास कुमाल	20.01.52	सामान्य	02.11.72	सामान्य
40	प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	जगन्नाथ	26.01.54	सामान्य	14.05.73	
41	अरवि मोहन शर्मा	रघुनाथ	01.01.49	सामान्य	18.12.72	सामान्य
42	जगदीश चन्द शर्मा	जगन्नाथ शर्मा	18.05.50	सामान्य	27.10.72	सर्वोत्तम अतिरिक्त में प्रशिक्षण
43	जगदीश अशर्मा	जगदीश अशर्मा	30.05.51	सामान्य	01.11.72	सामान्य
44	शिवकुमार	शिव मोहनदास शर्मा जगदीश	10.07.48	सामान्य	23.02.73	सामान्य
45	जगन्नाथ चन्द शर्मा	जगदीश शर्मा	20.07.52	सामान्य	03.11.72	
46	जगन्नाथ शर्मा	जगन्नाथ शर्मा	01.01.49	सामान्य	05.05.70	सामान्य
47	एतदुत्तम शर्मा	मनमोहन दास जगन्नाथ	20.07.45	सामान्य	11.12.72	सामान्य
48	रवि चन्द शर्मा	दीदीश शर्मा	05.11.45	सामान्य	18.12.70	सामान्य
49	सहजुदास	मनमोहन शर्मा	10.07.46	सामान्य	07.05.72	सामान्य
50	रवि शर्मा	मनमोहन शर्मा	04.01.47	सामान्य	30.01.71	सामान्य
51	रवि शर्मा	मनमोहन शर्मा	22.04.50	सामान्य	05.07.72	सामान्य
52	रवि शर्मा	मनमोहन शर्मा	15.02.51	सामान्य	27.11.72	सर्वोत्तम अतिरिक्त में प्रशिक्षण

53	समाधी रायव	सिद्धांत रायव	23.11.51	सामान्य	11.12.72	तदर्थ सहायक अभियंता के कार्यालय
54	अजीत कुमार राई	जगदीश प्रसाद राय	15.08.52	सामान्य	05.08.79	एम्प्लॉयमेंट कार्डिनल डेट दिनांक 13.11.08 द्वारा इम्पॉईन्टमेंट नॉन-कंप्लायंस के आधार पर नॉन A पर निर्धारित की गयी है। एम्प्लॉयमेंट कार्ड नं. 27/01/2006 एम्प्लॉयमेंट दिनांक 31.07.08
55	मिर्जा सुनार	विप्लवराज	04.04.53	सामान्य	23.08.73	तदर्थ सहायक अभियंता के कार्यालय
56	सुकुन्तला	शाहमल	01.01.45	अनुप्राप्त	03.08.70	समाप्त
57	रघुवीर सिंह रायत	हरि सिंह रायत	02.02.46	सामान्य	07.01.71	समाप्त
58	राजेश राय	जयदेव राय	09.09.48	सामान्य	14.01.72	एम्प्लॉयमेंट तदर्थ कार्ड नं. 27/01/2006 एम्प्लॉयमेंट दिनांक 31.07.08। नॉन A पर नॉन 27/01/2006 एम्प्लॉयमेंट दिनांक 31.07.08। नॉन
59	इतिहास मोहम्मद खां	नजीर मोहम्मद खां	14.08.47	सामान्य	13.08.72	समाप्त
60	महेश कुमार	जगबहादुर	30.01.48	सामान्य	18.08.72	समाप्त
61	अरुण कुमार मोहम्मद	राजेश चन्द	25.08.49	सामान्य	31.07.72	एम्प्लॉयमेंट कार्डिनल डेट दिनांक 13.11.08 द्वारा इम्पॉईन्टमेंट नॉन-कंप्लायंस के आधार पर नॉन A पर नॉन 27/01/2006 एम्प्लॉयमेंट दिनांक 31.07.08 तदर्थ सहायक अभियंता के कार्यालय
62	इज मोहन दास	राधिका सिंह	01.08.46	सामान्य	02.11.72	नॉन A पर नॉन
63	रामचन्द्र राय	मनोरमा राय		सामान्य	29.08.72	समाप्त
64	सुनील दास टण्डन	मिर्जा राय	24.12.52	सामान्य	16.11.72	तदर्थ सहायक अभियंता के कार्यालय

68	देवजीलनन्दन झाहानी	बिर्साज झाहानी	23.04.51	सामान्य	01.11.72	तत्पर्य सहायक अधिवक्ता के कार्यालय
69	रमेश चन्द्र ठाकुर	चैतन्यवर चन्द्र	08.11.47	सामान्य	01.12.72	मुख्य हाथी
70	अजित मोहन झा	बालकृष्ण झा	11.05.48	सामान्य	01.11.72	मुख्य हाथी
71	इन्दजीत सिंह	श्री सिंह	10.01.46	अनुप्राण	29.10.72	सहायक
72	श्री सिंह राय	मोहन सिंह राय	24.11.50	सामान्य	01.01.72	तत्पर्य सहायक अधिवक्ता के कार्यालय
73	इस्लामुद्दीन	शरीफ अहमद	01.02.46	अनुप्राण	04.11.72	सहायक अधिवक्ता के कार्यालय का पत्र सं. 27/21/2006 (सहायक अधिवक्ता) दिनांक 31.07.06 से सम्बन्धित
74	गुरु कुमार झा	समस्त झा	14.04.53	सामान्य	13.11.72	तत्पर्य सहायक अधिवक्ता के कार्यालय
75	मधुसूदन झा	समस्त झा	16.09.44	सामान्य	03.12.72	सहायक
76	रविन्द्र कुमार झा	मदनलाल झा	15.11.40	सामान्य	20.01.73	तत्पर्य सहायक अधिवक्ता / सहायक
77	महेन्द्र सिंह सिरोही	बालकृष्ण सिंह	03.12.47	सामान्य	10.03.73	मुख्य हाथी
78	किशन लाल झा	अनन्तलाल झा	03.08.45	अनुप्राण	12.03.73	सहायक
79	विद्यानन्द चमोली	समस्त चमोली	15.03.44	सामान्य	26.03.73	सहायक
80	सुनाय चन्द्र	बालकृष्ण	12.11.42	सामान्य	19.06.73	सहायक
81	मोहम्मद जलालुद्दीन मलिक	इब्राहिम मलिक	04.08.50	सामान्य	07.04.73	मुख्य हाथी
82	श्री प्रकाश	जलालुद्दीन	02.02.41	सामान्य	05.05.73	सहायक

५१०३

80	सुन्दर रीत गोवाल	जगदीश प्रसाद	06.03.36	सामान्य	16.05.73	संवर्धित
81	राजेश्वर	गिरधर राम	02.05.49	अनुप्राप्त	19.09.73	संवर्धित
82	महेश्वर प्रसाद सिंह बिष्ट	जीत सिंह बिष्ट	10.03.52	सामान्य	08.09.73	सर्वोत्तम अभियन्ता के पदोन्नति
83	अशोक कुमार शर्मा	श्रीधर प्रसाद	02.04.47	सामान्य	21.09.73	संवर्धित
84	जकर अली -हेम मणि X	मकबुल अली	12.12.49	सामान्य	19.10.73	सर्वोत्तम अभियन्ता के पदोन्नति का पत्र सं. 27/01/2026 एमएमएल (एम) दिनांक 31.07.26
85	प्रमोद कुमार	सर्वोत्तम देव प्रसाद सुदी	04.03.41	सामान्य	21.02.74	संवर्धित
86	नारायण राम	रमेश चन्द्र राम	04.01.50	सामान्य	02.02.74	सर्वोत्तम अभियन्ता के पदोन्नति
87	अशोक प्रसाद सुदी	मोना देवी सुदी	12.05.49	सामान्य	11.02.74	सर्वोत्तम अभियन्ता/संवर्धित
88	राजेश्वर सिंह राय	मदन सिंह राय	10.09.44	सामान्य	26.04.74	संवर्धित
89	चन्द्रशेखर खरे	कुमार नारायण खरे	01.08.48	सामान्य	14.03.74	सर्वोत्तम अभियन्ता/संवर्धित
90	रमाशरण शर्मा	जयशरण शर्मा	01.03.46	सामान्य	04.02.74	संवर्धित
91	गंगा प्रसाद शर्मा	पुरुषोत्तम शर्मा	10.10.48	सामान्य	19.04.80	इस कार्यविधि के पत्र सं. 223/01 काग-सं. 05 दिनांक 20.02.08 द्वारा संशोधित संवर्धित
92	जगदीश कुमार शर्मा	दीपक शर्मा	04.01.54	सामान्य	31.03.82	सर्वोत्तम अभियन्ता के पदोन्नति
93	नारायण शर्मा	चमोचम शर्मा	05.03.55	सामान्य	01.08.82	सर्वोत्तम अभियन्ता के पदोन्नति
94	जगदीश सिंह शर्मा	विजय सिंह शर्मा	15.12.54	सामान्य	16.04.82	सर्वोत्तम अभियन्ता के पदोन्नति

५१०३

५

68/07

95	बलराज कुमार गिलाल	सुरज प्रकाश गिलाल	20.08.55	सामान्य	20.03.82	सदस्य महासभा अभियन्ता में पदोन्नत
96	जगदीश सिंह कान्हावी	राजेश सिंह	15.08.56	सामान्य	30.04.82	सदस्य महासभा अभियन्ता में पदोन्नत
97	जगत सिंह राणा	राज सिंह राणा	14.08.51	सामान्य	20.03.82	सदस्य महासभा अभियन्ता में पदोन्नत
98	जीतन शर्मा शर्मा	श्यामलाल शर्मा	25.12.51	सामान्य	29.03.82	सदस्य महासभा अभियन्ता में पदोन्नत
99	जिहम सिंह बंगाली	राजेश सिंह बंगाली	25.03.52	सामान्य	30.04.82	सदस्य महासभा अभियन्ता में पदोन्नत
100	जयनंद सिंह जामवाल	शंकर सिंह जामवाल	21.07.56	सामान्य	25.03.82	सदस्य महासभा अभियन्ता में पदोन्नत
101	राधा सिंह गटियाणी	केशव सिंह गटियाणी	05.08.49	सामान्य	27.03.82	सदस्य महासभा अभियन्ता / सैनिक
102	प्रकाश चण्डा	निराज चण्डा	12.08.54	सामान्य	30.03.82	सदस्य महासभा अभियन्ता में पदोन्नत
103	वीरेश कुमार बिष्ट	एलडीबिष्ट	09.09.57	सामान्य	18.04.82	सदस्य महासभा अभियन्ता में पदोन्नत
104	विजय सिंह कान्हावी	विजय सिंह	01.05.53	सामान्य	03.08.82	सदस्य महासभा अभियन्ता में पदोन्नत
105	जयन सिंह पोखरिया	दलीप सिंह	18.06.55	सामान्य	30.03.82	सदस्य महासभा अभियन्ता में पदोन्नत
106	विजय कुमार चण्डा	मोहन प्रकाश चण्डा	26.07.53	सामान्य	19.03.82	सदस्य महासभा अभियन्ता में पदोन्नत
107	चन्द्रशेखर शर्मा	शिवशंकर शर्मा	30.05.56	सामान्य	28.10.84	सदस्य महासभा अभियन्ता में पदोन्नत
108	वीरेश चण्डा	वीरेश चण्डा	12.01.58	सामान्य	21.03.82	
109	कुमारगोपाल गुप्ता	निर्मल कुमार गुप्ता	22.06.48	सामान्य	30.03.82	सैनिक
110	अशोक सिंह शर्मा	लालचंद	01.07.51	अभियन्ता	18.03.82	सदस्य महासभा अभियन्ता में पदोन्नत
111	राजेश सिंह	राजेश सिंह	06.06.55	सामान्य	30.04.82	सदस्य महासभा अभियन्ता में पदोन्नत

112	अशोक कुमार सिंह	कृष्ण सिंह	01.01.59	सामान्य	01.03.82	तदर्थ असाधारण अभियन्ता से पदोन्नत
113	राजवीर सिंह	मुन्धू सिंह	16.07.51	सामान्य	29.08.82	तदर्थ असाधारण अभियन्ता से पदोन्नत
114	जगदीश प्रताप कोशिकाल	विरम्बर प्रताप	15.08.51	सामान्य	19.06.82	तदर्थ असाधारण अभियन्ता से पदोन्नत
115	विनोद चन्द्र पंत	मधुसूदन पंत	23.12.55	सामान्य	30.04.82	तदर्थ असाधारण अभियन्ता से पदोन्नत
116	अमर प्रकाश	देवप्रकाश	10.07.50	सामान्य	20.08.82	
117	अनूप सिंह	हरनन सिंह	19.07.50	अनुप्राप्त	31.03.82	मुक्त हो गये
118	शम्भूनाथ गुप्ता	अरुण कुमार गुप्ता	01.02.51	सामान्य	30.08.72	
119	विष्णुनाथ शर्मा	राजप्रसाद शर्मा	28.02.46	सामान्य	17.11.72	संवर्धित

मुख्य अभियन्ता स्तर-1

संकेत

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
व्यवस्थापन 'घ' वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

द्वितीय सूची

क्रमांक-5

दिनांक- 08/10/09

2927 /अभ्य-सा0/09

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त कार्मिकों के उत्तराखण्ड राज्य आवंटन विषयक भारत सरकार कार्मिक एवं लोक सेवा आयोग के आदेश संख्या- 27/9/2001-एस0आर0एस0 दिनांक 11.08.2001 एवं आदेश संख्या- 27/01/2006-एस0आर0एस0 दिनांक 31.07.2008 तथा मा0 उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में दायर क्लेम पिटिशन संख्या- 62/टी0/2005 में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2007 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर रिट पिटिशन संख्या- 178(S/B) 2007, 193 (S/B) 2007, 194 (S/B) 2007, 195 (S/B) 2007, 196 (S/B) 2007, 197 (S/B) 2007, तथा रिट पिटिशन संख्या- 299 (S/B) 2007 में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2007 एवं दिनांक 28.04.2008 तथा साथ ही मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के उक्त निर्णय के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अपील संख्या- 14422-14423/08 राजीव शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में होने वाले अन्तिम निर्णयान्तर्गत रहते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 एवं उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (प्रथम संशोधन) नियमावली 2009 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार अन्तिम रूप से आवंटित एवं मौलिक रूप से कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्त अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 2209/07 व्य-सा0/09 दिनांक 21.07.09 द्वारा प्रख्यापित करते हुए दिनांक 07.08.2009 तक ज्येष्ठता के सम्बन्ध में आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी थी।

इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 2620/07व्य-सा0/09 दिनांक 13.08.2009 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक/प्राविधिक एवं मानचित्रकारों की प्रख्यापित अन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियाँ/प्रत्यावेदनों पर समाक विचारोपलब्ध लिये गये निर्णय अनुसार ज्येष्ठता सूची में संशोधन किया गया है।

अतः समिति की संस्तुति उपरान्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची क्रमांक 120 से 657 तक (द्वितीय सूची) एतद्वारा प्रख्यापित की जाती है।

पुनश्च उपरोक्तानुसार कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की प्रख्यापित अन्तिम ज्येष्ठता सूची मा0 उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में दायर क्लेम पिटिशन संख्या- 62/टी0/2005 में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2007 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर रिट पिटिशन संख्या- 178(S/B) 2007, 193 (S/B) 2007, 194 (S/B) 2007, 195 (S/B) 2007, 196 (S/B) 2007, 197 (S/B) 2007, तथा रिट पिटिशन संख्या- 299 (S/B) 2007 में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2007 एवं दिनांक 28.04.2008 तथा साथ ही मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के उक्त निर्णय के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अपील संख्या- 14422-14423/08 राजीव शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

(ललित मोहन)

मुख्य अभियन्ता स्तर-1

08/10/09

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को अन्तिम ज्येष्ठता सूची की एक प्रति सहित सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संचित, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल / कुमायूँ क्षेत्र लो0नि0वि0, पौड़ी / अल्मोड़ा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/नवम/राजदण्ड एवं हाइडल 4: लो0नि0वि0, अल्मोड़ा / नैनीताल / पिथौरागढ़ / हल्द्वानी / वि0/यौं हल्द्वानी / उत्तराकाशी / गोपेश्वर / नई टिहरी / देहरादून / रा0मा0 वृत्त, देहरादून / वि0/यौं वृत्त, देहरादून एवं पौड़ी गढ़वाल को इस निर्देश के साथ की ये कृपया अन्तिम ज्येष्ठता सूची अपने अधीनस्थ खण्डों में परिचालित (सुर्कलेट) करा दें।
4. प्रांतीय अध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, संघ भवन, देहरादून।

संलग्न:- यथोक्त।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1

लो0नि0वि0 देहरादून

08/10/09

08/10/09

पत्रांक ११११/०१४४४-४४ दिनांक ०८/१०/०३ द्वारा जारी कानून अभियन्ता (सिविल) की अतिम जोखता सूची (द्वितीय भाग)

क्र. सं.	नाम वर्ग श्री	पिता का नाम वर्ग श्री	जन्म तिथि	व्यक्ति	विशेष नै नियुक्ति की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
120	हिमंत सिंह सक्ता	हर सिंह रावत	16.07.60	सामान्य	22.10.83	AE तदर्थ सहायक अभियन्ता में प्रोन्नत
121	राजीव गुरगर्गी	नन्द लाल	15.08.60	सामान्य	10.10.82	— — — तदर्थ सहायक अभियन्ता में प्रोन्नत
122	मोहम्मद सुलूक	मोहम्मद अली	08.05.61	सामान्य	11.10.83	— — — तदर्थ सहायक अभियन्ता में प्रोन्नत
123	दीनद राय	एचएमएस	01.06.60	सामान्य	10.10.83	मुख्य अभियन्ता (जलसंचयन) कोटा/वि. अलगाव के पत्र सं-४०१०/१९९४ — — — पत्र-सं४०/२००३ दि-०६/०७/०३ द्वारा कोटा/वि. तदर्थ सहायक अभियन्ता में प्रोन्नत
124	रवीश चन्द पाण्डे	रवी चन्द पाण्डे	06.11.58	सामान्य	28.10.83	— — —
125	नदीमचन्द्र गोडो	जगदीशचन्द्र गोडो	01.03.60	सामान्य	12.10.83	— — —
126	चरण सिंह गुर्गो	आन सिंह गुर्गो	23.03.60	सामान्य	08.10.83	AE —
127	सुरजचन्द राय	विजयचन्द राय	35.06.62	सामान्य	11.10.83	— — —
128	सुरेश चन्द जोशी	मोहन चन्द जोशी	24.10.62	सामान्य	28.10.83	— — —

120	मन सिंह	मनसिंह सिंह	11.05.81	सामान्य	12.10.83	HE
121	मनसिंह सिंह काशी	मनसिंह सिंह काशी	22.06.82	सामान्य	04.10.83	✓
122	मनसिंह राय	मनसिंह राय	14.06.80	सामान्य	28.10.83	✓
123	मनसिंह राय	मनसिंह राय	20.12.83	सामान्य	04.10.83	✓
124	मनसिंह कुमार जोशी	मनसिंह कुमार जोशी	25.06.81	सामान्य	05.10.83	✓
125	मनसिंह कुमार पुनेडा	मनसिंह कुमार पुनेडा	28.06.83	सामान्य	22.10.83	✓
126	मनसिंह राय	मनसिंह राय	01.02.81	सामान्य	11.10.83	✓
127	मनसिंह सिंह राय	मनसिंह सिंह राय	02.05.81	सामान्य	24.10.83	✓
128	मनसिंह पुनेडा	मनसिंह पुनेडा	04.03.81	सामान्य	25.10.83	✓
129	मनसिंह कुमार चौधरी	मनसिंह कुमार चौधरी	10.03.81	सामान्य	11.10.83	✓
130	मनसिंह राय चौधरी	मनसिंह राय चौधरी	25.12.87	सामान्य	07.10.83	✓
131	मनसिंह काशी	मनसिंह काशी	20.05.81	सामान्य	11.10.83	✓
132	मनसिंह राय	मनसिंह राय	12.06.82	अनुसूचित जाति	11.10.83	अनुसूचित
133	मनसिंह राय	मनसिंह राय	21.01.81	सामान्य	07.10.83	AL
134	मनसिंह राय	मनसिंह राय	03.11.83	सामान्य	16.10.83	AL
135	मनसिंह कुमार पुनेडा	मनसिंह कुमार पुनेडा	24.05.82	सामान्य	21.10.83	AL
136	मनसिंह सिंह राय	मनसिंह सिंह राय	20.06.83	सामान्य	28.10.83	AL

146	सिंह, राजा कर्पू	ज. 11.11.80	राजस्थान	25.10.83	AE AE
147	सिंह, राजा कर्पू	ज. 11.11.80	राजस्थान	25.10.83	AE
148	सिंह, राजा कर्पू	ज. 11.11.80	राजस्थान	25.10.83	AE
149	सिंह, राजा कर्पू	ज. 11.11.80	राजस्थान	25.10.83	AE
150	सिंह, राजा कर्पू	ज. 11.11.80	राजस्थान	25.10.83	AE
151	सिंह, राजा कर्पू	ज. 11.11.80	राजस्थान	25.10.83	AE
152	सिंह, राजा कर्पू	ज. 11.11.80	राजस्थान	25.10.83	AE
153	सिंह, राजा कर्पू	ज. 11.11.80	राजस्थान	25.10.83	AE
154	सिंह, राजा कर्पू	ज. 11.11.80	राजस्थान	25.10.83	AE
155	सिंह, राजा कर्पू	ज. 11.11.80	राजस्थान	25.10.83	AE
156	सिंह, राजा कर्पू	ज. 11.11.80	राजस्थान	25.10.83	AE
157	सिंह, राजा कर्पू	ज. 11.11.80	राजस्थान	25.10.83	AE
158	सिंह, राजा कर्पू	ज. 11.11.80	राजस्थान	25.10.83	AE
159	सिंह, राजा कर्पू	ज. 11.11.80	राजस्थान	25.10.83	AE
160	सिंह, राजा कर्पू	ज. 11.11.80	राजस्थान	25.10.83	AE
161	सिंह, राजा कर्पू	ज. 11.11.80	राजस्थान	25.10.83	AE

	સામાન્ય સિંગલ બેલ્ટિંગ	સિંગલ સિંગલ	28.07.23	સપ્લાય	28.07.23	42	
127	સુપર ગ્રાન	સુપર ગ્રાન	18.03.88	સપ્લાય	18.03.88	45	
128	સી સમ્પલ સિંગલ ગ્રાન	સમ્પલ સિંગલ	28.03.88	સપ્લાય	28.03.88	- 1 -	
129	બેલ્ટિંગ બેલ્ટિંગ	બેલ્ટિંગ બેલ્ટિંગ	11.07.82	સપ્લાય	11.07.82	- 1 -	
130	સમ્પલ ગ્રાન બેલ્ટિંગ	સમ્પલ ગ્રાન	30.03.80	સપ્લાય	31.12.83	- 1 -	
131	સીંગલ ગ્રાન બેલ્ટિંગ	સીંગલ ગ્રાન	01.08.80	સપ્લાય	27.01.84	- 1 -	
132	સમ્પલિંગ સિંગલ	સિંગલિંગ ગ્રાન	20.10.84	સપ્લાય	23.01.84	- 1 -	
133	સિંગલ ગ્રાન બેલ્ટિંગ	સિંગલ ગ્રાન બેલ્ટિંગ	10.05.86	સપ્લાય	10.05.86	- 1 -	
134	સિંગલ ગ્રાન બેલ્ટિંગ	સપ્લાય ગ્રાન	15.05.82	સપ્લાય	23.01.84	- 1 -	
135	સમ્પલિંગ સિંગલ	સમ્પલિંગ સિંગલ	05.03.80	સપ્લાય	14.03.84	- 1 -	
136	સમ્પલિંગ સિંગલ ગ્રાન	સેમ સિંગલ ગ્રાન	01.01.81	સપ્લાય	07.03.84	- 1 -	
137	સુપર ગ્રાન સિંગલિંગ	સિંગલિંગ ગ્રાન	01.01.81	સપ્લાય	28.02.84	- 1 -	
138	સમ્પલિંગ સિંગલ	સિંગલિંગ ગ્રાન	01.07.87	સપ્લાય	12.03.84	- 1 -	
139	સેમ સિંગલ ગ્રાન	સિંગલ સિંગલ	28.11.83	સપ્લાય	25.02.84	- 1 -	
140	સપ્લાય ગ્રાન	સમ્પલિંગ ગ્રાન	01.05.85	સપ્લાય	21.02.86	- 1 -	
141	સમ્પલ ગ્રાન	સિંગલિંગ ગ્રાન	16.10.86	સપ્લાય	15.03.84		સપ્લાય ગ્રાન
142	સિંગલ ગ્રાન બેલ્ટિંગ	સિંગલિંગ	12.01.84	સપ્લાય	14.04.84	45	સપ્લાય ગ્રાન

क्र.	विद्यार्थी नाम	पंजीय नं.	15/10/20	अनुप्राप्त	15/10/20	RE
180	अशोक कुमार बरिवाल	41444444	01.08.20	सामान्य	08.01.24	RE
181	नाथ राम कुमारी	कुमारी कुमारी	03.03.20	सामान्य	03.01.24	RE
182	सदानंद प्रसाद	सदानंद प्रसाद	06.07.20	सामान्य	11.01.24	RE
183	महेश्वर सिंह	महेश्वर सिंह	31.03.20	सामान्य	11.01.24	RE
184	अशोक कुमार दीक्षित	सविनन्द	30.06.21	सामान्य	17.04.24	RE
185	महेश सिंह मण्डवी	महेश सिंह मण्डवी	21.08.20	सामान्य	31.05.24	RE
186	महेश सिंह	200 बी मण्डल सिंह	05.08.20	सामान्य	23.04.24	RE
187	दशरथ सिंह भोज	दिलीप सिंह	05.03.21	सामान्य	15.11.24	RE
188	महेश सिंह बिष्ट	महेश सिंह	02.06.20	सामान्य	07.11.24	RE
189	सुरेश कुमार कुमारी	महेश राम कुमारी	03.10.20	सामान्य	15.11.24	RE
190	सुरेश राम दास	महेश राम दास	01.02.20	सामान्य	14.11.24	RE
191	सुरेश कुमार	महेश राम दास	30.05.21	सामान्य	13.11.24	RE
192	महेश सिंह मण्डल	महेश सिंह मण्डल	20.01.20	सामान्य	10.11.24	RE
193	महेश दास	महेश दास	18.08.20	सामान्य	06.11.24	RE
194	महेश कुमार	महेश कुमार	14.04.21	सामान्य	12.02.24	RE

186	सुभाष सिंह गजपति	सुभाष सिंह	01.02.85	सामान्य	04.02.85	AE
187	अनवरुद्ध प्रसाद शर्मा	अनवरुद्ध प्रसाद	01.02.81	सामान्य	23.01.85	-11-
188	अनवरुद्ध सिंह शर्मा	अनवरुद्ध सिंह	30.08.84	सामान्य	01.02.85	AE
189	अनवरुद्ध शर्मा	अनवरुद्ध प्रसाद शर्मा	10.03.83	सामान्य	22.01.85	-11-
190	सुभाष चंद्र शर्मा	सुभाष चंद्र	05.05.83	सामान्य	26.01.85	-11-
200	सुभाष चंद्र शर्मा	सुभाष चंद्र	01.01.83	सामान्य	30.01.85	-11-
201	सुभाष चंद्र शर्मा	सुभाष चंद्र	25.01.81	सामान्य	28.01.85	AE
202	सुभाष चंद्र शर्मा	सुभाष चंद्र	10.06.83	सामान्य	03.02.85	AE
203	अनवरुद्ध प्रसाद	अनवरुद्ध शर्मा	05.04.81	सामान्य	21.01.85	AE
204	सुभाष सिंह शर्मा	सुभाष सिंह	03.03.84	सामान्य	25.01.85	AE
205	सुभाष चंद्र शर्मा	सुभाष चंद्र	30.06.83	सामान्य	18.01.85	AE
206	अनवरुद्ध शर्मा	अनवरुद्ध शर्मा	10.06.83	सामान्य	24.01.85	AE
207	अनवरुद्ध सिंह शर्मा	अनवरुद्ध सिंह शर्मा	01.05.80	सामान्य	21.01.85	AE
208	सुभाष चंद्र शर्मा	सुभाष चंद्र	15.04.84	सामान्य	01.02.85	AE
209	सुभाष सिंह शर्मा	सुभाष सिंह शर्मा	10.07.81	सामान्य	03.02.85	AE
210	अनवरुद्ध शर्मा	अनवरुद्ध शर्मा	10.06.83	सामान्य	22.01.85	AE
211	अनवरुद्ध सिंह शर्मा	अनवरुद्ध सिंह	10.06.83	सामान्य	18.01.85	AE

211	गणेश सिंह रावत	गणेश सिंह	05.08.92	सामान्य	28.01.85	पुण्य/१६
212	मदन मोहन राय	मधुसूदन काशी	11.05.58	सामान्य	04.05.85	मनोद अमरनाथ (अविशेष) से मनोद अमरनाथ (विशेष) में यह पर पर परिवर्तन के अनुसार मनोद अमरनाथ (विशेष) के जो पर परिवर्तन प्रत्यक्ष करने के विषय 04.05.85 से प्रवर्तनी निर्धारित की गयी है।
214	जगदीश चन्द काश्याल	रमेश श्री लखन दत्त	29.03.61	सामान्य	27.06.85	१६
215	देवेन्द्र सिंह बोर	लखन सिंह बोर	20.06.63	सामान्य	28.01.85	११
216	विनोद प्रसाद मोदियाल	बन्धु बरल	02.01.62	सामान्य	24.01.85	—
217	अनिल कुमार शर्मा	नितेश प्रसाद	10.05.63	सामान्य	23.01.85	१६
218	राजेश कुमार अरवाल	रमन सिंह	17.06.62	अविशेष	22.01.85	१६
219	सुरेश सिंह	गोपाल सिंह	28.10.82	अविशेष	24.01.85	१६
220	दिनेश चन्द शर्मा	रामचन्द्र	10.01.52	अविशेष	22.05.85	१६
221	मुकुन्द राम शर्मा	रामचरण शर्मा	18.02.61	अविशेष	04.02.85	१६
222	प्रभु रत्न सिंह शिवावाल	दीनदयाल	13.12.64	अविशेष	25.01.85	१६
223	मैत्रनाथ	गन सिंह	22.09.57	अविशेष	01.02.85	१६
224	इन्द्रनाथ शर्मा	अनिल शर्मा	07.09.57	अविशेष	27.01.85	१६
225	राजेश सिंह शर्मा	रमन सिंह	01.02.61	सामान्य	18.01.85	१६
226	नरेश शर्मा	रमन	21.07.64	अविशेष	24.01.85	पुण्य/१६

क्र.	अभिज्ञान नाम	पिता/पति	दिनांक	अभिज्ञान नाम	दिनांक	स्थिति	टिप्पणी
228	विदेश प्रसाद झा	मनसु झा	01.01.85	अनुपम	13.01.85	PE	वर्षा सहायक अभियन्ता में पदोन्नति
229	नरेश्वर	नरेश्वर	02.01.82	अनुपम	07.02.85	PE	वर्षा सहायक अभियन्ता में पदोन्नति
230	निराला चन्द झा	दिलीप चन्द	01.02.84	अनुपम	22.01.85	PE	वर्षा सहायक अभियन्ता में पदोन्नति
231	सतीश चन्द झा	योगेश चन्द	23.06.81	अनुपम	13.02.85	PE	वर्षा सहायक अभियन्ता में पदोन्नति
232	विष्णुदास टण्डा	बनी राम	20.03.82	अनुपम	05.02.85	PE	वर्षा सहायक अभियन्ता में पदोन्नति
233	प्रकाश चन्द टण्डा	बनी राम टण्डा	20.03.82	अनुपम	05.02.85	PE	वर्षा सहायक अभियन्ता में पदोन्नति
234	विनोद प्रसाद मोहरीयाल	हिरण्वर	01.11.83	समान्य	29.01.85	PE	
235	कुलदीप सिंह रायत	विलोचन सिंह	12.01.82	समान्य	29.01.85	PE	
236	आशु सिंह	रुद्र सिंह	08.10.81	समान्य	23.01.85	PE	
237	धन सिंह बिहारी	नरेश सिंह बिहारी	30.08.83	समान्य	12.04.85	PE	
238	सुरेश सिंह रायत	गुलाम सिंह रायत	04.01.81	समान्य	10.04.85	PE	
239	सुरेश सिंह रायत	सुरेश सिंह रायत	25.01.81	समान्य	10.04.85	PE	
240	सुरेश सिंह रायत	सुरेश सिंह रायत	04.04.84	समान्य	12.04.85	PE	
241	सुरेश चन्द बरबहादुर	सुरेश चन्द बरबहादुर	01.05.82	समान्य	10.04.85	PE	
242	सुरेश चन्द बरबहादुर	सुरेश चन्द बरबहादुर	01.05.82	समान्य	10.04.85	PE	

241	उत्तम चन्द	विश्व प्रसाद चन्द	20.05.85	सामान्य	18.05.85	AE
242	पुनम चन्द जीवरी	विश्वप्रसाद जीवरी	21.10.81	सामान्य	19.05.85	AE
243	प्रमोद सिंह नगी	नीलम सिंह नगी	04.07.83	सामान्य	18.05.85	AE
244	हरेन्द्र सिंह	मदन सिंह	18.05.83	सामान्य	21.05.85	AE
247	सुदर्शन सिंह रावत	दीप्ता सिंह	05.10.83	सामान्य	22.05.85	AE
248	अनुरा कुमर उजियार	जगदीश प्रसाद	30.08.83	सामान्य	25.05.85	AE
249	नरेश चन्द जीवरी	हरिश्चन्द्र चन्द	30.06.84	सामान्य	15.04.85	AE
250	विक्रम सिंह मेहता	सदा चरण सिंह मेहता	26.08.82	सामान्य	14.05.85	AE
251	दीप चन्द शिवारी	उद्यम चन्द	27.01.81	सामान्य	09.05.85	AE
252	नीलम चन्द शिवारी	(उद्यम शिवारी)	15.10.84	सामान्य	29.05.85	AE
253	सत्येन्द्र प्रसाद महापात्र	प्रोफेसर उद्यमप्रसाद	10.12.83	सामान्य	15.05.85	AE
254	चन्द देवराव चण्डे	किशन चन्द चण्डे	31.12.89	सामान्य	24.05.85	AE
255	रमेशचन्द्र झा	प्रीतिमान	02.01.57	अनुप्रास	14.05.85	AE
256	अजितराव चन्द	जितराव चन्द	28.09.81	सामान्य	11.10.85	AE
257	हरिश्चन्द्र चन्द रावत	नरमणीश्वर चन्द	16.10.83	सामान्य	25.10.85	AE
258	हरिश्चन्द्र चन्द शिवारी	सुधा सिंह	24.11.83	सामान्य	29.02.85	AE

राष्ट्रीय उद्यमक अजितराव ने प्रमाणित

AE

प्रमती प्र

क्र	संलग्न विवर	प्राप्त विवर	दिनांक	विवरण	रकम	टिप्पणी
280	समय सिंह सिंह	समय सिंह सिंह	18.12.57	समय	25.08.95	
281	समय सिंह सिंह	समय सिंह	18.12.57	समय	25.08.95	
282	समय सिंह सिंह	समय सिंह	18.12.57	समय	25.08.95	
283	समय सिंह सिंह	समय सिंह	18.12.57	समय	25.08.95	
284	समय सिंह सिंह	समय सिंह	18.12.57	समय	25.08.95	
285	समय सिंह सिंह	समय सिंह	18.12.57	समय	25.08.95	
286	समय सिंह सिंह	समय सिंह	18.12.57	समय	25.08.95	
287	समय सिंह सिंह	समय सिंह	18.12.57	समय	25.08.95	
288	समय सिंह सिंह	समय सिंह	18.12.57	समय	25.08.95	
289	समय सिंह सिंह	समय सिंह	18.12.57	समय	25.08.95	
290	समय सिंह सिंह	समय सिंह	18.12.57	समय	25.08.95	
291	समय सिंह सिंह	समय सिंह	18.12.57	समय	25.08.95	
292	समय सिंह सिंह	समय सिंह	18.12.57	समय	25.08.95	
293	समय सिंह सिंह	समय सिंह	18.12.57	समय	25.08.95	
294	समय सिंह सिंह	समय सिंह	18.12.57	समय	25.08.95	

लोक सेवा आयोग, कोटा का पत्र क्र. 440/संव 6/52 दि. 6/1-82 / टीसीडी दि. 15.02.90 द्वारा जारी जे.पी.एस. का प्रमाणित प्रमाणित।

लोक सेवा आयोग, कोटा का पत्र क्र. 440/संव 6/52 दि. 6/1-82 / टीसीडी दि. 15.02.90 द्वारा जारी जे.पी.एस. का प्रमाणित प्रमाणित।

लोक सेवा आयोग, कोटा का पत्र क्र. 440/संव 6/52 दि. 6/1-82 / टीसीडी दि. 15.02.90 द्वारा जारी जे.पी.एस. का प्रमाणित प्रमाणित।

लोक सेवा आयोग, कोटा का पत्र क्र. 440/संव 6/52 दि. 6/1-82 / टीसीडी दि. 15.02.90 द्वारा जारी जे.पी.एस. का प्रमाणित प्रमाणित।

लोक सेवा आयोग, कोटा का पत्र क्र. 440/संव 6/52 दि. 6/1-82 / टीसीडी दि. 15.02.90 द्वारा जारी जे.पी.एस. का प्रमाणित प्रमाणित।

लोक सेवा आयोग, कोटा का पत्र क्र. 440/संव 6/52 दि. 6/1-82 / टीसीडी दि. 15.02.90 द्वारा जारी जे.पी.एस. का प्रमाणित प्रमाणित।

क्र.	नाम	पता	दिनांक	विवरण	दिनांक	टिप्पणी
270	सुभाष चंद्र बोस	गोविंद जाल	12.06.83	समाप्त	20.08.84	लोक सेवा आयोग का 19 वीं सं. 448/सं. 6/52 सी. 1/10/83 दि. 15.02.80 द्वारा जारी प्रेषित कर्मक अनुसंधान
271	सदा प्रसाद बजा	गोविंद बजा बजा	01.07.84	समाप्त	19.08.85	प्रती A F
272	सदा प्रसाद पुनिया	सदा प्रसाद पुनिया	01.07.88	समाप्त	25.08.92	प्रती A F
273	सिद्ध बजा	सुभाष बजा	11.01.89	समाप्त	18.08.90	प्रती A F
274	सिद्ध सिंह गठिया	सदा सिंह गठिया	05.07.80	समाप्त	13.08.85	प्रती A F
275	गोविंद बजा बजा	गोविंद बजा बजा	25.11.88	समाप्त	04.08.90	प्रती A F
276	सुभाष बजा	सुभाष बजा	30.06.81	समाप्त	19.03.86	प्रती A F
277	सुभाष बजा	सुभाष बजा	05.06.82	समाप्त	27.08.85	प्रती A F
278	सुभाष बजा	सुभाष बजा	30.06.84	समाप्त	25.08.85	लोक सेवा आयोग का 19 वीं सं. 448/सं. 6/52 सी. 1/10/83 दि. 15.02.80 द्वारा जारी प्रेषित कर्मक अनुसंधान
279	सुभाष बजा	सुभाष बजा	05.06.88	समाप्त	27.08.85	प्रती A F
280	सुभाष बजा	सुभाष बजा	01.01.89	समाप्त	27.08.85	प्रती A F
281	सुभाष बजा	सुभाष बजा	04.01.89	समाप्त	31.08.90	प्रती A F
282	सुभाष बजा	सुभाष बजा	05.10.89	समाप्त	30.08.90	प्रती A F
283	सुभाष बजा	सुभाष बजा	24.01.90	समाप्त	19.08.90	प्रती A F

290	कुमार कुमार कल्याण	कुमार कल्याण	29.02.80	सामान्य	31.12.90	लोक सेवा आयोग, उपाधी का क्रम सं. 449/उपा. 6/52 बी / ए - 1 - 10 / टैकसीड रि. 15.12.90 इस जारी केन्द्र पर अग्रणी अनुसूचित	AF
291	केशव राम ठिगरी	मधुसूदन ठिगरी	19.05.80	सामान्य	01.10.90	यहाँ पर रि. 15.12.90	AF
292	प्रकाश चन्द जोशी	प्रकाश चन्द जोशी	21.07.81	सामान्य	19.11.90	यहाँ पर रि. 15.12.90	AF
293	गुलशन सिंह	देवशरण सिंह	05.01.62	सामान्य	18.08.90	लोक सेवा आयोग, उपाधी का क्रम सं. 449/उपा. 6/52 बी / ए - 1 - 10 / टैकसीड रि. 15.12.90 इस जारी केन्द्र पर अग्रणी अनुसूचित	AF
294	अनवरुद्ध सिंह ठिगरी	दीपक सिंह ठिगरी	13.04.82	सामान्य	29.08.90	यहाँ पर रि. 15.12.90	AF
295	रमेश चन्द राव	पुरुष चन्द राव	27.06.82	सामान्य	29.12.90	यहाँ पर रि. 15.12.90	AF
296	महेश्वर सिंह जोशी	चन्द सिंह जोशी	05.06.63	सामान्य	17.12.90	यहाँ पर रि. 15.12.90	AF
297	प्रकाश चन्द ठिगरी	विशम्बर राव	22.06.63	सामान्य	10.05.85	यहाँ पर रि. 15.12.90	AF
298	अनवरुद्ध सिंह ठिगरी	अनवरुद्ध ठिगरी	15.09.83	सामान्य	18.05.90	यहाँ पर रि. 15.12.90	AF
299	गुलशन कुमार	राम प्रकाश	01.11.64	सामान्य	31.12.90	यहाँ पर रि. 15.12.90	AF
300	चन्द जोशी	दया कुमल जोशी	04.10.58	सामान्य	31.03.91	यहाँ पर रि. 15.12.90	AF
301	मो. कलम मर्द	मो. कलम मर्द		सामान्य	08.08.90	यहाँ पर रि. 15.12.90	AF
302	ललित मोहन ठिगरी	ललित ठिगरी	03.04.81	सामान्य	23.08.90	यहाँ पर रि. 15.12.90	AF
303	ललित सिंह जोशी	महेश्वर सिंह	02.01.82	सामान्य	27.08.90	यहाँ पर रि. 15.12.90	AF
304	गुलशन कुमार	राम श्री ठिगरी राव		सामान्य	28.02.91	यहाँ पर रि. 15.12.90	AF
305	गुलशन सिंह जोशी	गुलशन सिंह जोशी	19.09.80	सामान्य	26.04.92	यहाँ पर रि. 15.12.90	AF

300	विमान विंग कमांडर	रवि सिंह	15.01.83	सामान्य	31.03.91	लोक सेवा आयोग, 13000 का पत्र सं. 442/विंग 6/82 जोर / ए - 1 - 82 / टीसी वि. 15.02.90 द्वारा जारी व्यंग्यता कमांक अनुसूची। 5/10/82 AE
307	नरेश चन्द बरह	सुन्दराना बरह	16.12.80	सामान्य	18.09.90	— 10 — — तदर्थ
308	राजद कुमार	लक्ष्मीनारायण	21.07.94	सामान्य	27.07.90	— 10 — — तदर्थ
309	लखेश चन्द गूट	रमचन्द्र गूट	15.05.80	सामान्य	15.08.90	— 11 — — तदर्थ
310	जय सिंह खडिया	सुहास सिंह खडिया	05.08.63	सामान्य	20.08.90	— 11 — — तदर्थ
311	दीपक कुमार लोखारो	गुमार राम लोखारो	15.10.62	सामान्य	30.08.90	— 12 — — तदर्थ
312	मोक्षराम चन्द मोदीवाल	कमराल	01.06.63	सामान्य	30.08.90	— 12 — — तदर्थ
313	मिन्हाजुल हक	सिमरजुल हक	03.06.63	सामान्य	26.01.90	— 13 — — तदर्थ
314	तारा राम	रमछी	04.08.68	सामान्य	31.08.90	मृत्यु हो गयी
315	दीपक कुमार जर्दे	सूरज राम जर्दे	01.04.62	अनुसूचित	13.09.90	तदर्थ सहायक अधिवक्ता से परीक्षा AE ✓
316	रविन्द्र जाल	राम चरण	05.07.83		17.08.90	लोक सेवा आयोग, 13000 का पत्र सं. 442/विंग 6/82 जोर / ए - 1 - 82 / टीसी वि. 15.02.90 द्वारा जारी व्यंग्यता कमांक अनुसूची। 5/10/82 AE
317	अशोक कुमार बरह	अनन्तेश बरह	01.12.57	निर्वाही	05.08.90	— 14 — —
318	इन्दिरा जय	रवि लखारो			28.01.91	मृत्यु
319	अनन्तेश सिंह बरह	विन सिंह बरह	05.06.82	सामान्य	31.12.90	लोक सेवा आयोग, 13000 का पत्र सं. 442/विंग 6/82 जोर / ए - 1 - 82 / टीसी वि. 15.02.90 द्वारा जारी व्यंग्यता कमांक अनुसूची। 5/10/82 AE

320	अनुमति विहारी	अनुराध विहारी	17.03.99	सामान्य	25.03.99	लोक सेवा आयोग का सं. 32/149/सं. 2/28/99 / पृ. 1-82 / दिनांक 15.02.99 द्वारा जारी अधिसूचना का अनुसार। 95/AF
321	सुभाष विहारी	अनुराध विहारी	01.07.99	सामान्य	21.03.99	95/AF
322	रमेश सिंह	विमला सिंह	12.09.91	सामान्य	30.03.92	95/AF
323	पीठ इन्द्रावती	समयवती	25.08.90	सामान्य	17.06.91	95/AF
324	रविशंकर यादव	सुदीपन यादव	02.03.92	सामान्य	30.03.92	एन.ए.ए.ए.ए. सं. 27/01/2000 एन.ए.ए.ए.ए.ए. सं. 31.07.08
325	रमेश सिंह	अनुराध सिंह		सामान्य	29.04.92	95/AF
326	रमेश चंद्र	विमला चंद्र	01.01.92	सामान्य	19.09.91	95/AF
327	अनुमति विहारी	अनुराध विहारी	14.10.75	सामान्य	01.09.04	लोक सेवा आयोग का सं. 363/XXX (2)/04 दिनांक 12.07.04 द्वारा जारी अधिसूचना का अनुसार। (अनुराध चंद्र के नियुक्त)
328	रमेश चंद्र	विमला चंद्र	15.03.73	सामान्य	03.09.04	95/AF
329	रमेश चंद्र	विमला चंद्र	10.04.70	सामान्य	03.09.04	95/AF
330	रमेश चंद्र	विमला चंद्र	01.02.73	सामान्य	03.09.04	95/AF
331	रमेश चंद्र	विमला चंद्र	25.08.90	सामान्य	02.09.04	95/AF
332	विमला चंद्र	अनुराध चंद्र	15.03.73	सामान्य	01.09.04	95/AF

337	अनुराग अग्रवाल	विशेष राज. अभियंता	15.08.76	सामान्य	31.08.04	अनुराग अग्रवाल जी का जन्म 15/08/76, XXX-XX-XX दिनांक 18.07.04 इस जारी पोस्टर के अनुसार। (अनुराग अग्रवाल जी का पिता) AE
338	अरवि अग्रवाल	संयोजक अभियंता	07.02.85	सामान्य	18.08.04	अरवि अग्रवाल AE
339	अरवि कुमार	संयोजक अभियंता	03.09.75	सामान्य	25.08.04	अरवि अग्रवाल AE
340	अरवि कुमार	संयोजक अभियंता	29.07.75	सामान्य	04.09.04	अरवि अग्रवाल AE (11)
341	अरवि कुमार	संयोजक अभियंता	04.07.88	सामान्य	17.08.04	अरवि अग्रवाल AE (10)
342	अरवि कुमार	संयोजक अभियंता	06.08.77	सामान्य	03.09.04	अरवि अग्रवाल AE
343	अरवि कुमार	संयोजक अभियंता	01.01.87	सामान्य	18.08.04	अरवि अग्रवाल AE
344	अरवि कुमार	संयोजक अभियंता	15.11.75	सामान्य	17.08.04	अरवि अग्रवाल AE
345	अरवि कुमार	संयोजक अभियंता	04.02.74	सामान्य	18.08.04	अरवि अग्रवाल AE
346	अरवि कुमार	संयोजक अभियंता	18.08.71	सामान्य	23.08.04	अरवि अग्रवाल AE
347	अरवि कुमार	संयोजक अभियंता	01.06.75	सामान्य	10.08.04	अरवि अग्रवाल AE
348	अरवि कुमार	संयोजक अभियंता	01.06.71	सामान्य	10.08.04	अरवि अग्रवाल AE
349	अरवि कुमार	संयोजक अभियंता	01.06.71	सामान्य	26.08.04	अरवि अग्रवाल AE
350	अरवि कुमार	संयोजक अभियंता	10.04.71	सामान्य	10.08.04	अरवि अग्रवाल AE
351	अरवि कुमार	संयोजक अभियंता	04.09.80	सामान्य	10.08.04	अरवि अग्रवाल AE
352	अरवि कुमार	संयोजक अभियंता	07.06.80	सामान्य	18.08.04	अरवि अग्रवाल AE

[illegible]

265	गुलाबाम	सतीशम राय	04.08.89	अनुपम	14.10.04	आमसामय 1000 रु. का प्रमाण के तहत 1000/1000 रु. का प्रमाण दिनांक 14.10.04 को जारी किया गया था। (आमसामय 1000 रु. का प्रमाण के तहत 1000 रु. का प्रमाण दिनांक 14.10.04 को जारी किया गया था।)
266	हर्षवर्धन	सामान्य दल	05.05.89	सामान्य	19.08.04	— 10 — सामान्य
267	सतीश राय	आमसामय 1000 रु. का प्रमाण	12.04.77	सामान्य	12.08.04	— 10 — सामान्य
268	सत्यनारायण	सुनील चन्द	15.10.77	अनुपम	15.08.04	— 10 — सामान्य
269	सुनील चन्द राय	सत्यनारायण राय	15.08.72	सामान्य	31.08.04	— 10 — सामान्य
270	वीरेंद्र गुप्ता	सुरेश चन्द गुप्ता	18.08.68	सामान्य	25.08.04	— 10 — सामान्य
271	दीपकन्द जोशी	अपराजिता जोशी	01.12.65	सामान्य	01.08.04	— 10 — सामान्य
272	कल्याणराय राई	ईश्वर दत्त राई	27.02.67	सामान्य	15.08.04	— 10 — सामान्य
273	अजीत सिंह	रमेशचन्द्रराई	04.07.78	सामान्य	23.08.04	— 10 — सामान्य
274	सत्यनारायण सिंह	गुलाब सिंह सिंह	27.08.69	सामान्य	15.08.04	— 10 — सामान्य
275	सतीश सिंह राय	वीरेंद्र सिंह	27.12.71	सामान्य	24.08.04	— 10 — सामान्य
276	सुनील रामलाली	रमेश चिन्मय लाल रामलाली	17.07.74	सामान्य	02.08.04	— 10 — सामान्य
277	सतीश सिंह अधिकारी	शेखर सिंह अधिकारी	25.08.78	सामान्य	19.08.04	— 10 — सामान्य
278	सतीश सिंह राय	सतीश सिंह राय	14.11.70	अनुपम	01.08.04	— 10 — सामान्य
279	सतीश कुमार	सतीश कुमार	15.08.71	अनुपम	23.08.04	— 10 — सामान्य
280	अशोक कुमार	अशोक सिंह	01.07.74	सामान्य	02.08.04	— 10 — सामान्य

क्र.सं.	नाम	पता	दिनांक	वर्ग	मार्क	टिप्पणी
381	सोहन चन्द शर्मा	सुन्दर चन्द शर्मा	09.06.69	सामान्य	13.08.04	सामान्य चन्द शर्मा के पत्र 05/XXX 2/31 दिनांक 15.07.64 द्वारा जारी किया गया अनुमति। सामान्य चन्द शर्मा के पिता
382	प्रदीप	सुन्दर चन्द शर्मा	01.07.78	सामान्य	02.08.04	— 12 — तद्वत्
383	विश्व चन्द	समीप	29.03.76	सामान्य	13.08.04	— 4 — तद्वत् विष्णु के पत्र के
384	अनन्द कुमार	सुन्दर चन्द शर्मा	09.06.75	सामान्य	17.08.04	— 5 — तद्वत्
385	सज्जिद खान	सुन्दर चन्द शर्मा	16.06.73	सामान्य	21.08.04	— 1 — तद्वत्
386	मुकेश चन्द शर्मा	सुन्दर चन्द शर्मा	01.05.64	अधिवृत्त	18.11.04	— 1 — तद्वत्
387	विनीत चन्द	सुन्दर चन्द शर्मा	03.08.76	सामान्य	10.08.04	— 1 — तद्वत्
388	सुनील सिंह शर्मा	सुन्दर चन्द शर्मा	15.05.79	सामान्य	23.08.04	— 1 — तद्वत्
389	विजय चन्द	विश्व चन्द शर्मा	14.03.72	सामान्य	10.08.04	— 1 — तद्वत्
390	नरेश चन्द शर्मा	सुन्दर चन्द शर्मा	12.04.70	सामान्य	26.08.04	— 1 — तद्वत्
391	सुनील कुमार शर्मा	सुन्दर चन्द शर्मा	27.04.72	सामान्य	20.08.04	— 1 — तद्वत्
392	सुनील कुमार शर्मा	सुन्दर चन्द शर्मा	20.05.71	सामान्य	26.08.04	— AE — तद्वत् AE
393	सुनील कुमार शर्मा	सुन्दर चन्द शर्मा	12.01.75	सामान्य	12.08.04	— तद्वत् —
394	सुनील शर्मा	सुन्दर चन्द शर्मा	10.10.76	सामान्य	12.08.04	— 5 — तद्वत्
395	विश्व चन्द	सुन्दर चन्द शर्मा	01.07.71	सामान्य	24.08.04	— 1 — तद्वत्
396	सुनील शर्मा	सुन्दर चन्द शर्मा	23.06.63	सामान्य	23.08.04	— 1 — तद्वत्

397	रमेश कुमार शर्मा	रमेश कुमार शर्मा	08.12.67	रामाय	05.03.78	रमेश कुमार शर्मा रमेश कुमार शर्मा 08/12/67/05/78/रामाय (13.07.14) द्वारा जारी पत्राचार केमरा अनुसार (कमराधारित पत्राचार में विद्यमान)
398	रमेश कुमार शर्मा	रमेश कुमार शर्मा	01.08.88	रामाय	06.08.74	— 1 — -रमेश-
399	रमेश कुमार शर्मा	रमेश कुमार शर्मा	26.12.76	रामाय	18.08.04	— 1 — -रमेश-
400	रमेश कुमार शर्मा	रमेश कुमार शर्मा	19.12.77	रामाय	18.10.04	— 1 — -रमेश- (13.07.14) द्वारा जारी पत्राचार केमरा अनुसार (कमराधारित पत्राचार में विद्यमान)
401	रमेश कुमार शर्मा	रमेश कुमार शर्मा	01.07.76	रामाय	18.08.04	— 1 — -रमेश-
402	रमेश कुमार शर्मा	रमेश कुमार शर्मा	26.01.74	रामाय	18.08.04	— 1 — -रमेश-
403	रमेश कुमार शर्मा	रमेश कुमार शर्मा	07.01.77	रामाय	02.08.04	— 1 — -रमेश-
404	रमेश कुमार शर्मा	रमेश कुमार शर्मा	02.02.77	रामाय	04.11.04	— 1 — -रमेश-
405	रमेश कुमार शर्मा	रमेश कुमार शर्मा	15.07.70	रामाय	18.08.04	— 1 — -रमेश-
406	रमेश कुमार शर्मा	रमेश कुमार शर्मा	25.04.89	रामाय	18.08.04	— 1 — -रमेश-
407	रमेश कुमार शर्मा	रमेश कुमार शर्मा	01.08.74	रामाय	20.08.04	— 1 — -रमेश-
408	रमेश कुमार शर्मा	रमेश कुमार शर्मा	18.08.83	रामाय	21.08.04	— 1 — -रमेश-
409	रमेश कुमार शर्मा	रमेश कुमार शर्मा	14.12.67	रामाय	13.08.04	— 1 — -रमेश-
410	रमेश कुमार शर्मा	रमेश कुमार शर्मा	05.07.71	रामाय	21.08.04	— 1 — -रमेश-
411	रमेश कुमार शर्मा	रमेश कुमार शर्मा	17.03.89	रामाय	20.08.04	— 1 — -रमेश-

AC (5)

412	शिवजी शिवाजी	समान्य प्रमाण	15.06.77	सामान्य	24.08.04	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का 10 नं० 360/2004 (21/02 दिनांक 13.07.04 द्वारा जारी अध्यापक प्रमाण अनुसूची) (अवलोकनार्थ प्रमाण के विकल्प) <i>पुनरी 05</i>	
413	निहाल सिंह राणा	सामान्य प्रमाण	28.06.73	सामान्य	18.08.04	<i>— 11 —</i>	— 11 —
414	जसवंत शर्मा सिंह	सामान्य प्रमाण	20.06.74	सामान्य	18.08.04	<i>— 11 —</i>	— 11 —
415	रमेश चन्द शर्मा	सामान्य प्रमाण	15.07.70	सामान्य	18.08.04	<i>— 11 —</i>	— 11 —
416	अशोक सिंह अरोड़ा	सामान्य प्रमाण	26.12.75	सामान्य	23.08.04	<i>— 11 —</i>	— 11 —
417	विश्वनाथ सिंह	सामान्य प्रमाण	20.06.73	अधिकारी	20.08.04	<i>— 11 —</i>	— 11 —
418	शिवजी	सामान्य प्रमाण	10.07.65	अधिकारी	17.08.04	<i>— 11 —</i>	— 11 —
419	राम सिंह	सामान्य प्रमाण	18.10.68	सामान्य	18.08.04	<i>— 11 —</i>	— 11 —
420	नवीन कुमार शर्मा	सामान्य प्रमाण	18.11.65	सामान्य	17.08.04	<i>— 11 —</i>	— 11 —
421	शिव प्रसाद शर्मा	सामान्य प्रमाण	20.04.70	सामान्य	18.08.04	<i>— 11 —</i>	— 11 —
422	शिवजी शर्मा	सामान्य प्रमाण	11.07.63	सामान्य	27.08.04	<i>— 11 —</i>	— 11 —
423	अशोक कुमार शर्मा	सामान्य प्रमाण	15.02.68	सामान्य	14.08.04	<i>पुनरी 05</i>	— 11 —
424	सुरेश कुमार शर्मा	सामान्य प्रमाण	04.06.65	सामान्य	18.08.04	<i>AAE</i>	— 11 —
425	शिवजी शर्मा	सामान्य प्रमाण	11.07.72	सामान्य	18.08.04	<i>— 11 —</i>	— 11 —
426	शिवजी शर्मा	सामान्य प्रमाण	15.07.73	अधिकारी	18.08.04	<i>— 11 —</i>	— 11 —
427	शिवजी शर्मा	सामान्य प्रमाण	08.07.75	सामान्य	23.08.04	<i>AAE</i>	— 11 —

अशोक कुमार शर्मा

AAE (07)

428	सुनील शिंदे	मुकेश शिंदे	13.11.07	सामान्य	19.08.04	प्रमाणित होत नाही. सहाय्य व 15 ला 105/1000 2 ला 14 दिनांक 13.02.04 रोजी जारी झालेल्या कृपात अनुषंगीत प्रमाणित होत नाही.
429	विजय शिंदे	सविता शिंदे	04.02.07	सामान्य	03.09.04	NAE - 1500
430	मोहित शिंदे	रमाश्री शिंदे	21.05.08	सामान्य	25.08.04	- 11 - - 1500
431	नरेश मोहन शिंदे	मोहन शिंदे	18.04.07	सामान्य	26.08.04	- 11 - - 1500
432	प्रमोद सुनील शिंदे	मोहन शिंदे	05.08.08	सामान्य	23.08.04	NAE - 1500
433	प्रमोद शिंदे	सविता शिंदे	05.08.07	सामान्य	23.08.04	- 11 - - 1500
434	अशोक सुनील शिंदे	मोहन शिंदे	02.03.73	सामान्य	17.08.04	- 11 - - 1500
435	सविता सुनील	मोहन शिंदे	25.08.73	सामान्य	16.08.04	- 11 - - 1500
436	सविता सुनील शिंदे	मोहन शिंदे	13.07.71	सामान्य	18.08.04	NAE - 1500
437	अशोक शिंदे	सविता शिंदे	10.11.71	अनुषंगीत	03.09.04	- 11 - - 1500
438	सविता शिंदे	सविता शिंदे	01.02.77	सामान्य	27.08.04	- 11 - - 1500
439	सविता शिंदे	सविता शिंदे	17.07.75	सामान्य	12.08.04	NAE - 1500
440	सविता शिंदे	सविता शिंदे	04.02.71	अनुषंगीत	25.08.04	NAE - 1500
441	सविता शिंदे	सविता शिंदे	15.05.73	अनुषंगीत	03.09.04	NAE - 1500
442	सविता शिंदे	सविता शिंदे	27.08.77	सामान्य	10.08.04	NAE - 1500
443	सविता शिंदे	सविता शिंदे	19.08.76	सामान्य	10.08.04	NAE - 1500

444	जयशंकर कुमार सिंह बिष्ट	विम सिंह बिष्ट	21.02.75	सामान्य	21.08.04	आवक/अर्थ आंक सेवा करण के 43 (3) 2004/2005 के 14 दिनांक 13.07.04 और जारी नवीकृत कार्य अनुदान (आवक/अर्थ आंक के अनुसार)	
445	प्रदीप सिंह	बहाल सिंह मेरी	12.06.78	सामान्य	16.08.04	— 1 —	— 105 —
446	विनय शर्मा	समर सिंह ठाकुर	31.05.68	सामान्य	25.02.04	— 11 —	— 105 —
447	मिश्र सिंह	संजय सिंह बिष्ट	20.06.67	सामान्य	31.08.04	— 12 —	— 105 —
448	हेमचंद्र चौधरी	माधव नन्द चौधरी	05.06.68	सामान्य	19.08.04	— 13 —	— 105 —
449	शेष सिंह गेहरा	राम सिंह गेहरा	15.03.68	सामान्य	29.08.04	— 14 —	— 105 —
450	जोगाजरा सिंह	राजेश सिंह	16.01.67	सामान्य	13.09.04	— 15 —	— 105 —
451	लज्जत कुमार कपिल	विमल कपिल	06.02.68	सामान्य	13.09.04	— 16 —	— 105 —
452	वैदेन्द्र बल्लभ चौधरी	अध्यापक चौधरी	30.06.70	सामान्य	05.04.05	— 17 —	— 105 —
453	नमोज कुमार	दीपक सिंह बिष्ट	12.12.73	सामान्य	05.04.05	— 18 —	— 105 —
454	रवीश कुमार	लज्जत कुमार	22.05.76	सामान्य	27.08.04	— 19 —	— 105 —
455	कुलन सिंह बोर	गङ्गा सिंह बोर	02.06.70	सामान्य	03.09.04	— 20 —	— 105 —
456	पुनजराज चौधरी	कुलदेव चौधरी लाल चौधरी	12.05.64	सामान्य	17.08.04	— 21 —	— 105 —
457	सुरेश कुमार	विराज दल	02.06.66	सामान्य	02.09.04	— 22 —	— 105 —
458	विमल सिंह	नमो सिंह	25.04.79	सामान्य	17.08.04	— 23 —	— 105 —

475	सुरेश कुमार शर्मा	र. अतिरिक्त	01.06.79	सामान्य	16.08.04	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ने 13.08.04 / 300X 27 / 108 दिनांक 13.08.04 द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 300/2004 (विश्वविद्यालय सेवा में नियुक्ति)। उत्तराखण्ड दिनांक 16.08.04
480	नरेश सिंह शर्मा	राम सिंह शर्मा	25.06.86	सामान्य	19.08.04	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ने 13.08.04 / 300X 27 / 108 दिनांक 13.08.04 द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 300/2004 (विश्वविद्यालय सेवा में नियुक्ति)। B.A.E.
481	अरुण भुवारी	अरु सिंह भुवारी	01.06.79	सामान्य	16.08.04	N/A - तदर्थ -
482	प्रदीप कुमार सुजल	जीतेश्वर सुजल	25.04.87	सामान्य	23.08.04	- / - - तदर्थ -
483	भूपेश गोसाई	कमल सिंह गोसाई	30.10.88	सामान्य	21.08.04	- / - - तदर्थ -
484	विरोध बन्ध जोशी	बसंतदास जोशी	24.04.87	सामान्य	10.08.04	N/A - तदर्थ -
485	काजल ठिगरी	रम. बी. गोमुखानन्द ठिगरी	20.12.70	सामान्य	16.08.04	- / - - तदर्थ -
488	शशिंद्र अग्रवाल	रम. बी. रमेश अग्रवाल	30.06.75	अतिरिक्त	24.08.04	- / - - तदर्थ -
487	सरोज सिंह चौहान	सुरेश सिंह चौहान	20.06.86	सामान्य	21.08.04	- / - - तदर्थ -
488	अनिलदास कामरदार	रम. बी. अम्बदास कामरदार	07.12.88	सामान्य	03.08.04	N/A - तदर्थ -
489	दीपक	रम. बी. अम्बदास कामरदार	08.10.79	सामान्य	03.08.04	- / - - तदर्थ -
490	अभिषेक शर्मा	सुरेश शर्मा शर्मा	01.01.84	सामान्य	26.08.04	- / - - तदर्थ -
491	सन्त चौहान ठिगरी	रम. बी. रमेशदास रम. ठिगरी	04.01.84	सामान्य	05.08.04	- तदर्थ -
492	सुनील शर्मा	रम. बी. रमेश शर्मा	02.02.87	अतिरिक्त	04.08.04	N/A - तदर्थ -

क्र.	व्यक्ति का नाम	पद	जन्म तिथि	पद संख्या	पद का नाम	पद का वर्ग
471	श्री. राज. शर्मा	सहायक प्रमुख	02.05.87	CP/1	7.08.04	सहायक प्रमुख (गैर आरक्षण) का पद का नाम है, यह पद 01.08.04 से 30.08.04 तक जारी रखा गया, इसके अनुसार, सहायक प्रमुख का पद है नियुक्त।
474	श्री. राज. शर्मा	सहायक प्रमुख	08.04.72	CP/1	01.03.04	ADP - गैर-आरक्षण
475	श्री. राज. शर्मा	सहायक प्रमुख	25.08.73	CP/1	24.08.04	- 1 - गैर-आरक्षण
476	श्री. राज. शर्मा	सहायक प्रमुख	24.08.71	CP/1	20.08.04	- 1 - गैर-आरक्षण
477	श्री. राज. शर्मा	सहायक प्रमुख	26.03.76	CP/1	20.08.04	ADP - गैर-आरक्षण
478	श्री. राज. शर्मा	सहायक प्रमुख	26.07.78	CP/1	17.08.04	- 1 - गैर-आरक्षण
479	श्री. राज. शर्मा	सहायक प्रमुख	04.07.78	CP/1	20.08.04	- 1 - गैर-आरक्षण
480	श्री. राज. शर्मा	सहायक प्रमुख	10.05.79	CP/1	17.08.04	ADP - गैर-आरक्षण
481	श्री. राज. शर्मा	सहायक प्रमुख	02.05.78	CP/1	24.08.04	- 1 - गैर-आरक्षण
482	श्री. राज. शर्मा	सहायक प्रमुख	10.07.77	CP/1	18.08.04	- 1 - गैर-आरक्षण
483	श्री. राज. शर्मा	सहायक प्रमुख	20.10.63	CP/1	02.11.04	ADP - गैर-आरक्षण
484	श्री. राज. शर्मा	सहायक प्रमुख	25.08.64	CP/1	23.08.04	- 1 - गैर-आरक्षण
485	श्री. राज. शर्मा	सहायक प्रमुख	01.07.83	CP/1	05.02.05	ADP - गैर-आरक्षण
486	श्री. राज. शर्मा	सहायक प्रमुख	18.04.87	CP/1	18.08.04	- 1 - गैर-आरक्षण
487	श्री. राज. शर्मा	सहायक प्रमुख	17.04.68	CP/1	20.08.04	- 1 - गैर-आरक्षण
488	श्री. राज. शर्मा	सहायक प्रमुख	05.04.73	CP/1	24.08.04	- 1 - गैर-आरक्षण

448	गुणक सिंह नेगी	गणेशगंज गाँव	13.03.72	समान्य	16.08.04	पञ्चसालीन लक संघ अध्यक्ष के रूप में कार्य किया 21.10.03 कि 13.07.04 द्वारा जारी जोखिम बरतक अनुमति: (अवकाशगत लक से नियुक्त)
449	इमरुद्दौलत	102 श्री राम बलराम बरत	05.04.73	सामान्य	16.08.04	- 1 - - तद्वत -
451	राजिन्द कुमार	श्रीराम	01.01.89	गणेशगंज	17.08.04	- 1 - - तद्वत -
452	राजिन्द बलराम मट्ट	जोखार मट्ट	09.07.88	समान्य	17.08.04	- 1 - - तद्वत -
453	गुण सिंह	150 श्री चन्दन सिंह	14.11.72	सामान्य	17.08.04	- 1 - - तद्वत -
454	गुणेश कुमार	गणेशगंज	20.08.73	सामान्य	16.08.04	- तद्वत -
455	अमित कुमार झा	वेदप्रसाद	21.03.76	समान्य	02.09.04	NAE - तद्वत -
456	अमित ललित	जगदीश ललित	20.05.76	समान्य	21.08.04	- 1 - - तद्वत -
457	राम सिंह नेगी	150 श्री बन्दी सिंह नेगी	06.08.76	सामान्य	16.08.04	- 1 - - तद्वत -
458	गुणेश कुमार सिंह	लाल सिंह	02.08.76	सामान्य	03.09.04	- तद्वत -
459	दीपक कुमार जयवर्त	धर्मवीर सिंह	07.11.70	समान्य	17.08.04	NAE - तद्वत -
460	सामान सिंह	रजित सिंह	28.08.74	समान्य	03.09.04	- 1 - - तद्वत -
461	जयमल सिंह	जयम सिंह	20.05.88	सामान्य	28.08.04	NAE - तद्वत -
462	रमेश कुमार गणेशगंज	लक श्री गणेशगंज गणेशगंज	26.06.71	सामान्य	17.08.04	- 1 - - तद्वत -
463	जोखार मट्ट	102 श्री राम बलराम बरत	05.04.73	सामान्य	16.08.04	- 1 - - तद्वत -

क्र.सं.	उम्मीदवार का नाम	पिता का नाम	दिनांक	वर्ग	सं.पत्र	सं.पत्र	सं.पत्र
504	सुरेशचन्द्र मिश्र	सुरेशचन्द्र मिश्र	13.08.85	सामान्य	18.08.04	सं.पत्र	सं.पत्र
505	राजेश्वर सिंह बरौड़ा	श्रीर सिंह बरौड़ा	30.04.87	सामान्य	25.08.04	J.E. 1885X	सं.पत्र
506	सत्यन कुमार झांगी	श्रीर सिंह झांगी	23.04.89	सामान्य	16.08.04	J.E.	सं.पत्र
507	अशोक झांगी	श्रीर सिंह झांगी	02.01.70	सामान्य	17.08.04		सं.पत्र
508	अशोक सिंह	श्रीर सिंह झांगी	08.01.72	सामान्य	20.08.04		सं.पत्र
509	श्रीर सिंह झांगी	श्रीर सिंह झांगी	26.01.86	अभिलेखित	25.08.04		सं.पत्र
510	सुरेश चन्द्र	श्रीर सिंह झांगी	01.08.71	अभिलेखित	20.08.04		सं.पत्र
511	श्रीर सिंह झांगी	श्रीर सिंह झांगी	01.07.72	अभिलेखित	27.08.04		सं.पत्र
512	श्रीर सिंह झांगी	श्रीर सिंह झांगी	01.07.68	अभिलेखित	17.08.04		सं.पत्र
513	श्रीर सिंह झांगी	श्रीर सिंह झांगी	05.01.87	सामान्य	28.03.06		सं.पत्र
514	श्रीर सिंह झांगी	श्रीर सिंह झांगी	05.08.72	सामान्य	28.03.06	J.E.	सं.पत्र
515	श्रीर सिंह झांगी	श्रीर सिंह झांगी	30.08.76	सामान्य	16.08.04		सं.पत्र
516	श्रीर सिंह झांगी	श्रीर सिंह झांगी	04.07.77	अभिलेखित	17.08.04		सं.पत्र
517	श्रीर सिंह झांगी	श्रीर सिंह झांगी	28.01.76	अभिलेखित	12.08.04	J.E. 1885X	सं.पत्र
518	श्रीर सिंह झांगी	श्रीर सिंह झांगी	18.02.83	अभिलेखित	28.03.06	J.E. 1885X	सं.पत्र
519	श्रीर सिंह झांगी	श्रीर सिंह झांगी	08.07.70	अभिलेखित	01.08.04	J.E.	सं.पत्र

[illegible]

क्र.सं.	नाम	पता	दिनांक	विवरण	मूल्य	टिप्पणी
530	श्री लाल	लाल	01.12.77	अनुप्राप्त	18.08.04	प्राप्तकर्ता श्री लाल जी को यह भूखंड भूखंड 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 8

PMF

क्र.	नाम	पिता	जन्म	शिक्षा	तारीख	स्थिति
553	राजेश कुमार	अनिल कुमार	02.06.76	अनिल कुमार	21.08.04	AAE
554	महेश सिंह	राजेश सिंह	05.16.73	अनिल कुमार	16.09.05	AAE
555	अनिल कुमार	अनिल कुमार	06.07.78	अनिल कुमार	20.08.04	AAE
556	अनिल कुमार	अनिल कुमार	15.05.76	अनिल कुमार	15.08.04	AAE
557	सुरेश कुमार	अनिल कुमार	27.05.80	अनिल कुमार	20.08.04	AAE
558	सुरेश कुमार	अनिल कुमार	01.01.70	अनिल कुमार	16.08.04	AAE
559	सुरेश कुमार	अनिल कुमार	01.01.76	अनिल कुमार	17.08.04	AAE
560	सुरेश कुमार	अनिल कुमार	03.07.79	अनिल कुमार	25.08.04	AAE
561	अनिल कुमार	अनिल कुमार	20.08.80	अनिल कुमार	21.08.04	AAE
562	अनिल कुमार	अनिल कुमार	12.08.86	अनिल कुमार	23.08.04	AAE
563	अनिल कुमार	अनिल कुमार	10.08.79	अनिल कुमार	29.11.04	AAE
564	अनिल कुमार	अनिल कुमार	13.11.72	अनिल कुमार	06.08.04	AAE
565	अनिल कुमार	अनिल कुमार	19.11.88	अनिल कुमार	20.11.04	AAE
566	अनिल कुमार	अनिल कुमार	25.08.76	अनिल कुमार	12.12.04	AAE

[illegible]

क्र.सं.	अभिज्ञान संख्या	नाम	दिनांक	वर्ग	परीक्षा तिथि	फल
						उत्तीर्ण (100%) या अधिक अंकां प्राप्त करी घेतलेले उमेदवार (उत्तीर्ण अंकां 75% पेक्षा जास्त)
596	विष्णू विठ्ठल	विष्णू विठ्ठल	16.12.78	अनुष्ठान	16.08.04	— 1 — उत्तीर्ण
597	अनंत विठ्ठल	अनंत विठ्ठल	28.06.85	अनुष्ठान	16.08.04	— 1 — उत्तीर्ण
598	विष्णू विठ्ठल	विष्णू विठ्ठल	07.02.89	अनुष्ठान	16.08.04	— 1 — उत्तीर्ण
599	विष्णू विठ्ठल	विष्णू विठ्ठल	15.06.73	सामान्य	16.08.04	— 1 — उत्तीर्ण
600	अनंत विठ्ठल	अनंत विठ्ठल	11.02.74	अनुष्ठान	20.08.04	— 1 — उत्तीर्ण
601	विष्णू विठ्ठल	विष्णू विठ्ठल	03.01.74	अनुष्ठान	13.08.04	— 1 — उत्तीर्ण
602	विष्णू विठ्ठल	विष्णू विठ्ठल	25.04.79	अनुष्ठान	27.08.04	— 1 — उत्तीर्ण
603	विष्णू विठ्ठल	विष्णू विठ्ठल	07.02.80	अनुष्ठान	13.08.04	— 1 — उत्तीर्ण
604	विष्णू विठ्ठल	विष्णू विठ्ठल	15.02.71	अनुष्ठान	17.08.04	— 1 — उत्तीर्ण
605	विष्णू विठ्ठल	विष्णू विठ्ठल	01.01.79	अनुष्ठान	23.08.04	— 1 — उत्तीर्ण
606	विष्णू विठ्ठल	विष्णू विठ्ठल	04.11.72	अनुष्ठान	02.09.04	— 1 — उत्तीर्ण
607	विष्णू विठ्ठल	विष्णू विठ्ठल	07.08.85	अनुष्ठान	16.08.04	— 1 — उत्तीर्ण
608	विष्णू विठ्ठल	विष्णू विठ्ठल	15.06.89	अनुष्ठान	30.08.04	— 1 — उत्तीर्ण
609	विष्णू विठ्ठल	विष्णू विठ्ठल	20.11.73	अनुष्ठान	05.08.04	— 1 — उत्तीर्ण
610	विष्णू विठ्ठल	विष्णू विठ्ठल	21.02.88	अनुष्ठान	24.08.04	— 1 — उत्तीर्ण

NAE

010	श्रीधर कुमार शर्मा	श्रीधर शर्मा	07.08.71	अनुप्रास	18.08.04	प्रत्यक्ष परीक्षा के बाद भी 600/1000 (60/100) में 60/100 प्राप्त नहीं हो सका अतः अनुप्रास (अवसरपूर्ण स्थिति में प्रत्यक्ष)
011	श्रीधर शर्मा	श्रीधर शर्मा	19.08.71	अनुप्रास	13.08.04	<i>NAE</i> - तद्वत्
012	रमेश सिंह	रमेश सिंह	15.04.72	अनुप्रास	15.02.05	- - - - - तद्वत्
013	श्रीधर कुमार शर्मा	श्रीधर शर्मा	15.06.73	अनुप्रास	05.02.05	- - - - - तद्वत्
014	सुभाष	श्रीधर सिंह	18.07.75	अनुप्रास	04.09.04	- - - - - तद्वत्
015	महापाल राम	महा श्री केशव राम	02.01.76	अनुप्रास	23.08.04	<i>NAE</i> - तद्वत्
016	सतीश कुमार	श्रीधर कुमार शर्मा	07.07.77	अनुप्रास	06.02.05	- - - - - तद्वत्
017	श्रीधर कुमार	श्रीधर	01.07.85	अनुप्रास	18.08.04	<i>NAE</i> - तद्वत् <i>NAE</i> (AE) <i>NAE</i> (AE)
018	जुगल किशोर	श्रीधर सिंह	04.06.85	अनुप्रास	19.08.04	<i>NAE</i> - तद्वत्
019	श्रीधर कुमार	श्रीधर राम	12.07.77	अनुप्रास	19.08.04	<i>NAE</i> - तद्वत्
020	श्रीधर कुमार	श्रीधर राम शर्मा	24.06.78	अनुप्रास	18.08.04	- X - <i>NAE</i> - तद्वत्
021	श्रीधर कुमार	श्रीधर सिंह	15.01.72	अनुप्रास	17.08.04	<i>NAE</i> - तद्वत्
022	श्रीधर सिंह	श्रीधर	18.12.73	अनुप्रास	10.09.04	- - - - - तद्वत्
023	श्रीधर कुमार	श्रीधर राम	21.06.73	अनुप्रास	16.08.04	- - - - - तद्वत्
024	श्रीधर सिंह	श्रीधर सिंह	08.09.75	अनुप्रास	18.08.04	- - - - - तद्वत्
025	श्रीधर कुमार	श्रीधर	22.01.78	अनुप्रास	20.08.04	- - - - - तद्वत्

4

क्र.सं.	नाम	पता	मोबा. नं.	जन्म तिथि	संलग्नक	नोट
001	श्री. वि. वि. वि.	श्री. वि. वि. वि.	14.07.75	20.08.04	20.08.04	20.08.04
002	श्री. वि. वि. वि.	श्री. वि. वि. वि.	15.05.75	20.08.04	20.08.04	20.08.04
003	श्री. वि. वि. वि.	श्री. वि. वि. वि.	17.09.75	20.08.04	20.08.04	20.08.04
004	श्री. वि. वि. वि.	श्री. वि. वि. वि.	18.01.79	20.08.04	20.08.04	20.08.04
005	श्री. वि. वि. वि.	श्री. वि. वि. वि.	04.07.72	20.08.04	20.08.04	20.08.04
006	श्री. वि. वि. वि.	श्री. वि. वि. वि.	08.07.80	20.08.04	20.08.04	20.08.04
007	श्री. वि. वि. वि.	श्री. वि. वि. वि.	03.07.75	20.08.04	20.08.04	20.08.04
008	श्री. वि. वि. वि.	श्री. वि. वि. वि.	22.08.75	20.08.04	20.08.04	20.08.04
009	श्री. वि. वि. वि.	श्री. वि. वि. वि.	06.05.78	20.08.04	20.08.04	20.08.04
010	श्री. वि. वि. वि.	श्री. वि. वि. वि.	10.06.69	20.08.04	20.08.04	20.08.04
011	श्री. वि. वि. वि.	श्री. वि. वि. वि.	15.04.71	20.08.04	20.08.04	20.08.04
012	श्री. वि. वि. वि.	श्री. वि. वि. वि.	11.01.75	20.08.04	20.08.04	20.08.04
013	श्री. वि. वि. वि.	श्री. वि. वि. वि.	20.06.72	20.08.04	20.08.04	20.08.04
014	श्री. वि. वि. वि.	श्री. वि. वि. वि.	05.03.87	20.08.04	20.08.04	20.08.04
015	श्री. वि. वि. वि.	श्री. वि. वि. वि.	10.08.86	20.08.04	20.08.04	20.08.04
016	श्री. वि. वि. वि.	श्री. वि. वि. वि.	30.08.75	20.08.04	20.08.04	20.08.04

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक:- 482/07व्यघ-सामान्य/16

दिनांक 04/4/2016

"कार्यालय ज्ञाप"

इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2927/24 व्यघ-सा0/09 दिनांक 08.10.2009 से कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची क्रमांक 120 से 657 तक (द्वितीय भाग) प्रख्यापित हुई थी। कनिष्ठ अभियन्ता (सि0/वि0/या0/प्रा0) सेवा नियमावली 2007 में निहित प्राविधानों एवं उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (प्रथम संशोधन) नियमवाली 2009 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्त अभियन्ताओं की इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या- 785/07 व्यघ -सा0/2015 दिनांक 03.06.2015 से कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करते हुये सूचीवद्ध कनिष्ठ अभियन्ताओं को अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के प्रख्यापन के 01 माह के भीतर अपनी आपत्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया था।

उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्राप्त आपत्तियों/प्रत्यावेदनों के निस्तारण हेतु अन्तिम ज्येष्ठता सूची बनाये जाने हेतु इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या- 341/07 व्यघ-सा0/16 दिनांक 08.03.16 से 04 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों के निराकरण एवं अन्तिम ज्येष्ठता सूची बनाये जाने हेतु दिनांक 15.03.2016 को बैठक आहूत की गयी, जिसमें समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचार-विमर्श करते हुये बैठक का कार्यवृत्त संख्या- 405/07 व्यघ-सा0/16 दिनांक 19.03.2016 से अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 662, 672, 707, 709, 711, 722, 724, 750, 751, 761, 764, 780, 786, 789, 790, 794, 808, 816, 822, 840, 855, 878, 881, एवं 941 में अंकित कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा विभाग में योगदान न किये जाने के फलस्वरूप उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची से इनकी अंकित ज्येष्ठता को हटाते हुए प्राप्त आपत्तियों का निम्नवत् निस्तारण कर, क्रमांक 658 से 935 तक की अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करने की संस्तुति की गयी है:-

क्र0सं0	नाम/ पदनाम/तैनाती कार्यालय	कनि0 अभि0 (सि0) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
1	श्री राजेश जोशी कनिष्ठ अभियन्ता (सि0) / प्रा0खण्ड, चम्पावत	806	श्री राजेश जोशी कनिष्ठ अभियन्ता (सि0) द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपनी जन्मतिथि 07.01.75 जो गलत है, के स्थान पर 01.07.75 अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया।	ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 806 में अंकित श्री राजेश जोशी की जन्मतिथि 07.01.75 टंकणीय त्रुटि है, जिससे ठीक करते हुए जन्मतिथि 01.07.75 की जा चुकी है।

क्र०सं	नाम/ पदनाम/तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभि० (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
2	श्री दीपक सिंह सामन्त कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, काठगोदाम	771	श्री दीपक सिंह सामन्त कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, व्यघ्र वर्ग देहरादून के पत्रांक 723 / 28 सा०/13 दिनांक 01.08.13 में अपना क्रमांक 43 दर्शाया गया है। जब कि सन्दर्भित पत्र द्वारा ज्येष्ठता सूची में 44 दर्शाया गया है। सूचित करते हुए ज्येष्ठता क्रमांक ठीक करने का अनुरोध किया गया है।	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02/11-12 दिनांक 24.07.13 के आधार पर जारी की गई, जिससे इनका ज्येष्ठता क्रमांक 44 है। आयोग के उक्त ज्येष्ठता क्रमांक के आधार पर अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गई है। ज्येष्ठता सूची के कॉलम- 01 में अंकित ज्येष्ठता क्रमांक 771 निर्धारित है। विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723 / 28 व्यघ्र- सा०/13 दिनांक 01.08.13 के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं। जिनमें इनका क्रमांक 43 है। नियुक्ति आदेश ज्येष्ठता के आधार पर जारी नहीं है।
3	श्री जयप्रकाश कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, काठगोदाम	930	श्री जयप्रकाश कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, व्यघ्र वर्ग देहरादून के पत्रांक 723 / 28 सा०/13 दिनांक 01.08.13 में इनका क्रमांक 174 दर्शाया गया है। जब कि सन्दर्भित पत्र द्वारा ज्येष्ठता सूची में 208 दर्शाया गया है। सूचित करते हुए ज्येष्ठता क्रमांक ठीक करने का अनुरोध किया गया है।	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02/11-12 दिनांक 24.07.13 के आधार पर जारी की गई, जिससे इनका ज्येष्ठता क्रमांक 208 है। आयोग के उक्त ज्येष्ठता क्रमांक के आधार पर अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गई है। ज्येष्ठता सूची के कॉलम- 01 में अंकित ज्येष्ठता क्रमांक 930 निर्धारित है। विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723 / 28 व्यघ्र - सा० /13 दिनांक 01.08.13 के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं। जिनमें इनका क्रमांक 174 है। नियुक्ति आदेश ज्येष्ठता के आधार पर जारी नहीं है।
4	श्री गणेश सिंह रौतेला कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, काठगोदाम	866	श्री गणेश सिंह रौतेला कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, व्यघ्र वर्ग देहरादून के पत्रांक 723/28सा०/13 दिनांक 01.08.13 में इनका क्रमांक 128 दर्शाया गया है। जब कि सन्दर्भित पत्र द्वारा ज्येष्ठता सूची में 142 दर्शाया गया है। सूचित करते हुए ज्येष्ठता क्रमांक ठीक करने का अनुरोध किया गया है। एवं कृपया जन्मतिथि 22.08.1987 के स्थान पर दिनांक 02.07.87 करने का कष्ट करें।	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02/11-12 दिनांक 24.07.13 के आधार पर जारी की गई, जिससे इनका ज्येष्ठता क्रमांक 142 है। आयोग के उक्त ज्येष्ठता क्रमांक के आधार पर अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गई है। ज्येष्ठता सूची के कॉलम- 01 में अंकित ज्येष्ठता क्रमांक 866 निर्धारित है एवं ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 866 में श्री गणेश सिंह रौतेला की जन्मतिथि 02.07.87 अंकित की जा चुकी है। विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ्र- सा०/13 दिनांक 01.08.13 के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं। जिनमें इनका 128 है। नियुक्ति आदेश ज्येष्ठता के आधार पर जारी नहीं है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभि० (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
5	श्री सन्दीप प्रकाश धस्माना कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / नि० ४० रामनगर	746	श्री सन्दीप प्रकाश धस्माना कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उनका चयन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता सिविल हेतु चयन हुआ था। किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका चयन लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (ग्रो) हेतु हुआ। पुनः मा० न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.2013 को संशोधित घोषित अन्तिम परिणाम के द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में 2011 में प्राप्तकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता सिविल हेतु चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या- 723 / 28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय ज्ञाप द्वारा मेरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 18 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता क्रमांक 14 के अनुसार निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/164 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या-83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 89 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो० नि० वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री सन्दीप प्रकाश धस्माना कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री धस्माना कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-108/12ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन के पत्र संख्या- 1691/111(1)/13-131 (अधि०) /06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिससे श्री धस्माना का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 19 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 19 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में निर्यत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुरूप श्री धस्माना की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेग्युलेशन के नियम 422 एवं विल्ट हस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा नैवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री सन्दीप प्रकाश धस्माना कनिष्ठ अभियन्ता के पत्र दिनांक 28.07.2015 का निरस्तारण किया जाता है।

क्र. सं.	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीनों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
6	श्री प्रकाश सिंह कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / नि०ख० रामनगर	798	श्री प्रकाश सिंह कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्तियों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मेरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 72 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता क्रमांक 56 के अनुसार निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/184 /ई-2/ 2005 -08 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या-83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 3193/04 ई०-02/2005-08 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री प्रकाश सिंह कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री धर्माना कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 108/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1691/111 (1)/13- 131 (अधि०) /08 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री प्रकाश सिंह का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 72 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 72 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में निवृत्त है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप श्री प्रकाश सिंह की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रैग्यूलेशन के नियम 422 एवं वित्त हस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा नैवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री प्रकाश सिंह कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 28.07.2015 का निरस्तारण किया जाता है।

क्र. सं०	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
7	श्री गोविन्द सिंह महारा कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / नि०ख० कपकोट	756	श्री गोविन्द सिंह महारा कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपनी जन्मतिथि 04.01.74 जो गलत है, के स्थान पर 04.11.74 अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 756 में अंकित श्री गोविन्द सिंह महारा की जन्मतिथि 04.01.74 टंकणीय त्रुटि है, जिससे ठीक करते हुए जन्मतिथि 04.11.74 की जा चुकी है।
8	श्री ईश्वर जोशी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / नि०ख० कपकोट	785	श्री ईश्वर जोशी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपनी जन्मतिथि 23.09.84 जो गलत है, के स्थान पर 23.09.86 अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 785 में अंकित श्री ईश्वर जोशी की जन्मतिथि 23.09.84 टंकणीय त्रुटि है, जिससे ठीक करते हुए जन्मतिथि 23.09.86 की जा चुकी है।
9	श्री मनोज सिंह कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड पिथौरागढ़	759	श्री मनोज सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्तियों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मेरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 31 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1681/164 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या- 83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अर्हार्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री मनोज सिंह कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री मनोज सिंह कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1691 / 111 (1) /13-131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री मनोज सिंह का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 32 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 32 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अपभारण नियम-8 के 2 (क) में निर्यत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की पञ्चायत लोक सेवा गयी होगी

क्र. सं०	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
				जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हों। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुरूप श्री मनोज सिंह की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेग्युलेशन के नियम 422 एवं वित्त हस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा नैवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री मनोज सिंह कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 14.07.2015 का निस्तारण किया जाता है।
10	श्री विनोद कुमार नौटियाल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / पी०एम०जी०एस०आई०, नरेंद्रनगर	665	श्री विनोद कुमार नौटियाल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के सम्मुख अंकित टिप्पणी में ग्रा० अगि० सेवा में सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति दिनांक 12.09.2013 दर्शायी गई है। जो गलत है।	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में श्री विनोद कुमार नौटियाल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के नाम के सम्मुख त्रुटिपूर्ण अंकित टिप्पणी को हटाया जा चुका है।
11	श्री धनन्जय वर्मा कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / पी०एम०जी०एस०आई०, नरेंद्रनगर	717	श्री धनन्जय वर्मा कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपनी जन्मतिथि 08.03.86 जो गलत है, के स्थान पर दिनांक 23.03.1986 अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 717 में अंकित श्री धनन्जय वर्मा कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की जन्मतिथि 08.03.86 टंकणीय त्रुटि है, जिसे ठीक करते हुए जन्मतिथि 23.03.86 की जा चुकी है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
12	श्री प्रदीप उनियाल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)/ 30030, सहिया	903	श्री प्रदीप उनियाल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्तकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यप- सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 903 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/164 /ई-2/ 2005 -08 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष चाचिका संख्या- 83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-08 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लॉटि० वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री प्रदीप उनियाल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री प्रदीप उनियाल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1661/111(1)/13-131(अधि०)/08 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री प्रदीप उनियाल का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 180 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यप-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 180 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता निम्नवाली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी वधा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुरूप श्री प्रदीप उनियाल की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। अतः उपरोक्तानुसार श्री प्रदीप उनियाल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 03.07.2015 का निरस्तारण किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
13	श्री अजय पाल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / नि०ख०, देहरादून	802	श्री अजय पाल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु चयन हुआ था, किन्तु ना० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्तकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/164 /ई-2/2005 -06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष वादिका संख्या- 83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री अजय पाल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री अजय पाल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1661/111(1)/13-131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिससे श्री धर्माना का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 19 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 19 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम- 22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम- 5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम- 8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भाँती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी वधा रिधति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हों। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप श्री अजय पाल की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। अतः उपरोक्तानुसार श्री अजय पाल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 26.08.2015 का निस्तारण किया जाता है।

क्र.सं.	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
14	श्री विकास परमार कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / नि०ख०, पी०एम०जी०एस०आई० कालसी	827	श्री विकास परमार कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु चयन हुआ था, किन्तु नग० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्तकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मेरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संशोधन का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 827 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/164 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या- 83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री विकास परमार कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री विकास परमार कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1691/111 (1) / 13 -131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक-31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिससे श्री विकास परमार का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 103 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 103 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि संघी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता यही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप श्री विकास परमार की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेग्युलेशन के नियम 422 एवं वित्त हस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सौ के अन्तर्गत सेवा नैवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री विकास परमार कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 29.06.2015 का निस्तारण किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
15	श्री विपिन कुमार कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / नि०७७, पीडी	792	श्री विपिन कुमार कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में चयन हुआ था, किन्तु नौ उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंचाई विभाग हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्ताई के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मेरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 792 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/164 /ई-2/ 2005-08 दिनांक 28.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या-83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अन्यार्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-08 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 28.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री विपिन कुमार कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री विपिन कुमार कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 108/12ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1691/ 111 (1)/13-131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री विपिन कुमार का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 65 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 65 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में निवृत्त है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप श्री विपिन कुमार की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेग्यूलेशन के नियम 422 एवं रीत हस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा नैवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री विपिन कुमार कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 27.08.2015 का निस्तारण किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
18	श्री मनोज कुमार राठीर कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / प्रा०ख०, हरिद्वार	778	श्री मनोज कुमार राठीर कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उनका चयन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता सिविल हेतु चयन हुआ था। किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका चयन लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) हेतु हुआ। पुनः मा० न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.2013 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के द्वारा प्राप्ति का पुनः पूर्व में 2011 में प्राप्तकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता सिविल हेतु चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई है। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/164 /ई-2/2005 -06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या- 83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री मनोज कुमार राठीर कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री मनोज कुमार राठीर कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1661/111(1)/13 - 131 (अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री मनोज कुमार राठीर का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 49 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 49 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में निवृत्त है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुरूप श्री मनोज कुमार राठीर की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। अतः उपरोक्तानुसार श्री मनोज कुमार राठीर, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 29.06.2015 का निस्तारण किया जाता है।

क्र. सं.	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीनों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
17	श्री विश्वास सेनी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड ततपुली	821	श्री विश्वास सेनी, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्ताओं के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मेशी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1881/184 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या-83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री विश्वास सेनी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री सेनी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 108/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1891 / 111(1)/13-131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री विश्वास सेनी का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 97 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 97 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी वधा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हों। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुरूप श्री विश्वास सेनी की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में को गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेग्युलेशन के नियम 422 एवं वित्त हस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा नैवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री विश्वास सेनी, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक शून्य का निस्तारण किया जाता है।

क्र० सं०	नाम / पदनाम / तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
18	श्री अमित कुमार कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / रा०मा० खण्ड रुड़की	814	श्री अमित कुमार कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्तियों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मेरे पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 814 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1061/164 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या-83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री अमित कुमार कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री अमित कुमार कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1691/111(1)/13-131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री अमित कुमार का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 89 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 89 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता यही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप श्री अमित कुमार की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेग्यूलेशन के नियम 422 एवं वित्त हस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा नैवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री अमित कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 28.06.2015 का निस्तारण किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
19	रज्जाक अहमद कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) /अ०ख०, श्रीनगर (मु० - कीर्तिनगर)	900	रज्जाक अहमद, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंघाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्तकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मेरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 900 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/164 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष बाधिका संख्या-83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अन्यर्धियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०पि० हेतु चयन किया गया, जिसमें रज्जाक अहमद, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर रज्जाक अहमद, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1691/ 11।(1)/13-131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें रज्जाक अहमद, का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 177 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ -सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 177 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हों। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुरूप रज्जाक अहमद, की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में जो गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेग्युलेशन के नियम 422 एवं विल हल्ट पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा नेवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार रज्जाक अहमद, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक शून्य का निस्तारण किया जाता है।

क्र.सं.	नाम/ पदनाम/तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
20	श्री अवतार सिंह कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड कीर्तिनगर	772	श्री अवतार सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिद्धार्थ विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्ताओं के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मेरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 772 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1861/164 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 28.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या-83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 28.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 28.09.11 को संशोधित करते हुए 68 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री अवतार सिंह कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री अवतार सिंह कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या-1691/111(1)/13-131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री अवतार सिंह का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 45 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 45 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप श्री अवतार सिंह की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेग्यूलेशन के नियम 422 एवं विल्ट हस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा नेपुत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री अवतार सिंह कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 22.08.2015 का निस्तारण

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
21	श्री हेमन्त कुमार नौटियाल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / पी०एम०जी०एस०वाई० कोर्टिनगर	770	श्री हेमन्त कुमार नौटियाल, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्तकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मेरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 770 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1681/164 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या-83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट याचिका संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री हेमन्त कुमार नौटियाल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री हेमन्त कुमार नौटियाल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1691 / 111 (1)/ 13-131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री हेमन्त कुमार नौटियाल का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 43 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/26 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 43 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में तिहित प्राविधानों के अनुरूप श्री हेमन्त कुमार नौटियाल को अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेगुलेशन के नियम 422 एवं वित्त हस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा नैवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री हेमन्त कुमार नौटियाल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 22.08.2015 का

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
22	श्री हरीश चन्द्र बिजलवाण कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) /पीएमओजीएसआई डीर्जनगर	779	श्री हरीश चन्द्र बिजलवाण, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिवाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्रस्तावों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मंरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 779 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1861/164 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या-83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट याचिका संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री हरीश चन्द्र बिजलवाण कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री हरीश चन्द्र बिजलवाण कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 108/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1691/ 111(1)/13-131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री हरीश चन्द्र बिजलवाण का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 52 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 52 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अध्याकरण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुरूप श्री हरीश चन्द्र बिजलवाण की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेग्यूलेशन के नियम 422 एवं दित्त हस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा नैवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री हरीश चन्द्र बिजलवाण कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 24.07.13 का निस्तारण किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
23	श्री राहुल गुप्ता कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / नि०ख०, दुर्गड़	744	श्री राहुल गुप्ता, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्तियों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मेरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए पेंशन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 744 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1681/164 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या-83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 28.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री राहुल गुप्ता कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री राहुल गुप्ता कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 108/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से - पत्र संख्या- 1691/111(1)/13-131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री राहुल गुप्ता का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 17 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 17 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्राक्खानों के अनुरूप श्री राहुल गुप्ता की अन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेंगुलेशन के नियम 422 एवं रिट इस्त पुरितका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा वैयक्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं पेंशन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री राहुल गुप्ता कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक शून्य का निस्तारण किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्राथमिकता से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
24	श्री प्रदीप ममगाई कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / नि०ख०, दुर्गछा	769	श्री प्रदीप ममगाई, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन हुआ था, किन्तु ना० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्राथी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्ताओं के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मेरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 769 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/164 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या-83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री प्रदीप ममगाई कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री प्रदीप ममगाई निष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 108/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या-1691/111(1)/13-131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री प्रदीप ममगाई का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 42 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 42 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में निर्यत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी वधा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप श्री प्रदीप ममगाई की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेग्यूलेशन के नियम 422 एवं विल हस्त पुरितक भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा नैवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री प्रदीप ममगाई कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक शुन्य का निस्तारण किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
25	श्री जगमोहन सिंह कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / नि०ख०, दुगड्डा	765	श्री जगमोहन सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिविल विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्ताओं के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मेरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 765 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1861/184 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 28.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दाखल विशेष याचिका संख्या-83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 28.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री जगमोहन सिंह कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री जगमोहन सिंह निष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या-1691/111(1)/13-131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री जगमोहन सिंह का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 38 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 38 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी मर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी वधा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हों। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुरूप श्री जगमोहन सिंह की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेग्यूलेशन के नियम 422 एवं विल हस्त पुस्तिका भाग-2(2-4) के नियम 22सी के अन्तर्गत सेवा नैवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री जगमोहन सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक शून्य का निस्तारण किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
28	श्री दीपेन्द्र सिंह रावत कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / नि०ख०, दुमड़ा	787	श्री दीपेन्द्र सिंह रावत, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन हुआ था, किन्तु ना० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्तकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मेरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 787 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1861/164 /ई-2/ 2005 -06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या- 83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री दीपेन्द्र सिंह रावत कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री दीपेन्द्र सिंह रावत निष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1891 /111(1)/13-131(अधि०)/08 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री दीपेन्द्र सिंह रावत का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 60 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 60 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा रिश्ते आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हों। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप श्री दीपेन्द्र सिंह रावत की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेग्यूलेशन के नियम 422 एवं वित्त इस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा नेवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़े जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री दीपेन्द्र सिंह रावत, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 22.08.2015 का निस्तारण किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
27	श्री अजेन्द्र सिंह कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / नि०ख०, दुमड़ा	786	श्री अजेन्द्र सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्ताओं के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मेरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 786 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/164 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 28.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दावर विशेष याचिका संख्या- 83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 89 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री अजेन्द्र सिंह कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री अजेन्द्र सिंह कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-103/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1691/111(1)/13-131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री अजेन्द्र सिंह का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 39 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 39 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि तीघी मर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी क्या स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निर्दिष्ट प्राविधानों के अनुरूप श्री अजेन्द्र सिंह की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेग्युलेशन के नियम 422 एवं वित्त हस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा नैवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री अजेन्द्र सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक शून्य का निस्तारण किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
28	अकबर शेख कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / नि०ख०, दुगड्डा	865	अकबर शेख, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अयगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्तांशों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मेरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 865 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/164 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या-83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 28.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अन्यार्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट का० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 89 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का तो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें अकबर शेख कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर अकबर शेख निष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1691/111(1)/13-131(अवि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें अकबर शेख का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 141 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 141 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप अकबर शेख की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का ज्ञान (सिविल) सर्विस रैन्चुलेशन के नियम 422 एवं वित्त हस्त पुरितका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा नैवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार अकबर शेख, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक शून्य का निस्तारण किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
29	श्री प्रदीप सेमवाल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / नि०ख०, ऊखीमठ	741	श्री प्रदीप सेमवाल, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंघाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्तियों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मेरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 741 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1681/164 /ई-2/2005 -08 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या- 83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-08 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट याचिका संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री प्रदीप सेमवाल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री प्रदीप सेमवाल निष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1691/111(1)/13-131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री प्रदीप सेमवाल का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 14 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 14 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-6 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में निवृत्त है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हों। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप श्री प्रदीप सेमवाल की अन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्वोच्च रैग्युलेशन के नियम 422 एवं विल हस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा नैवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री प्रदीप सेमवाल, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 13.07.2015 का निस्तारण किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
30	मौ० इकराम कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / नि०ख०, रुड़की	745	मौ० इकराम कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंधाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्तकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 790/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अंतिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/164 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या- 83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें मौ० इकराम कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर मौ० इकराम निष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1691/111(1)/13-131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिससे मौ० इकराम का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 18 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 18 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमवाली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुरूप मौ० इकराम की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। अतः उपरोक्तानुसार मौ० इकराम, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक शून्य का निस्तारण किया जाता है।

क्र.सं.	नाम/पदनाम/तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
31	श्री सन्तोष कुमार कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / प्र०छ०, लैन्सडौन	778	श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्तकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा नैरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/164 /ई-2/ 2005 -06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या-83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री सन्तोष कुमार कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री सन्तोष कुमार निष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से, पत्र संख्या- 1691/11(1)/13-131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिससे श्री सन्तोष कुमार का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 51 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 51 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप श्री सन्तोष कुमार की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेग्यूलेशन के नियम 422 एवं वित्त हस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा नियुक्ति लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री सन्तोष कुमार कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 22.06.2015 का निरस्तारण किया जाता है।

क्र.सं.	नाम/पदनाम/तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीनों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
32	श्री नितिन सैनी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / नि०६०, नरेन्द्रनगर	799	श्री नितिन सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अद्वितीयता के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अनन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अनन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्तियों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सानान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मेरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 799 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अनन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/164 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या-63/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री नितिन सैनी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री नितिन सैनी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1691/ 11(1)/13-131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिससे श्री नितिन सैनी का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पद पर क्रमांक 73 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सानान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 73 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुरूप श्री नितिन सैनी की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सि०) सर्विस रेग्युलेशन के नियम 422 एवं वित्त हस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा नियुक्ति लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री नितिन सैनी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक शून्य का निस्तारण किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
33	श्री गोपाल सैनी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / नि०ख०, नरेन्द्रनगर	877	श्री गोपाल सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु चयन हुआ था, किन्तु ना० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्तांकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 877 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1681/164 /ई-2/2005 -08 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या- 83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 28.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या-1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री गोपाल सैनी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री गोपाल सैनी निष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या-1691/111(1)/13-131(अधि०)/08 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री गोपाल सैनी का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 153 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 153 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी वथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में, निहित प्रावधानों के अनुरूप श्री गोपाल सैनी की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। अतः उपरोक्तानुसार श्री गोपाल सैनी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक शून्य का निस्तारण किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
34	श्री गिरीश चन्द्र लोहनी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / प्रा०ख०, चम्पावत	833	श्री गिरीश चन्द्र लोहनी, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्तियों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मंत्री पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 833 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1861/164 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या-83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 89 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री गिरीश चन्द्र लोहनी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री गिरीश चन्द्र लोहनी निष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1891/111(1)/13-131(अधि०)/08 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री गिरीश चन्द्र लोहनी का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 109 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 109 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अध्वारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अध्वारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी नर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुरूप श्री गिरीश चन्द्र लोहनी की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेग्यूलेशन के नियम 422 एवं पिल्ल हस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा मैथुनिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री गिरीश चन्द्र लोहनी, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 29.08.2015 का निस्तारण किया जाता है।

क्र.सं.	नाम / पदनाम / तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
35	श्री पंकज बड़ोनी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / अ०ख०, सहिया	834	श्री पंकज बड़ोनी, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्तकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मेरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 834 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/164 /ई-2/ 2005 -06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या- 83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-08 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02. 2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लॉ०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री पंकज बड़ोनी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री पंकज बड़ोनी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1691/11।(1)/13-131(अधि०)/08 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री पंकज बड़ोनी का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 110 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 110 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हों। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुरूप श्री पंकज बड़ोनी की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेग्यूलेशन के नियम 422 एवं दिता हस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा नैवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री पंकज बड़ोनी, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 02.07.2015 का निस्तारण किया जाता है।

क्र. सं.	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
36	श्री कुलदीप सिंह रावत कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / नि०ख०, बड़कोट	782	श्री कुलदीप सिंह रावत, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्तांकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा भेरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए पेंशन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 782 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/184 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या-83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 चयन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री कुलदीप सिंह रावत कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री कुलदीप सिंह रावत कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1691/111(1)/13-131(अधि०)/08 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री कुलदीप सिंह रावत का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 55 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 55 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-6 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी वधा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में भिन्न प्रावधानों के अनुरूप श्री कुलदीप सिंह रावत की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेग्यूलेशन के नियम 422 एवं वित्त हस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा में वृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़े जाने एवं पेंशन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री कुलदीप सिंह रावत, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक शून्य का निश्चय किया जाता है।

क्र.सं.	नाम/ पदनाम/तैनाली कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
37	श्री अरविन्द सिंह रावत कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / नि०ख०, बड़कोट	812	श्री अरविन्द सिंह रावत, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अद्यतन कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन हुआ था, किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका सिद्दाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता हेतु चयन किया गया। पुनः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.13 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में वर्ष 2011 में प्राप्तकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा मेरी पूर्व विभाग की सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना ज्येष्ठता क्रमांक 812 के स्थान पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/164 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 28.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या-83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 28.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अन्यार्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1063/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 28.09.11 को संशोधित करते हुए 89 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री अरविन्द सिंह रावत कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री अरविन्द सिंह रावत कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1691 /111(1)/13-131(अधि०)/08 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री अरविन्द सिंह रावत का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 87 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 87 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुरूप श्री अरविन्द सिंह रावत की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेग्युलेशन के नियम 422 एवं वित्त हस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा नेवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़े जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री अरविन्द सिंह रावत कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक शून्य का निस्तारण किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
38.	श्री मनमोहन सिंह ऐरी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / नि०ख०, काशीपुर	784	श्री मनमोहन सिंह ऐरी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अग्रगत कराया है कि उनका चयन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु चयन हुआ था। किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका चयन सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु हुआ। पुनः मा० न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.2013 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में 2011 में प्राप्तकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या-723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई है। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/164 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या- 83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री मनमोहन सिंह ऐरी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री मनमोहन सिंह ऐरी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1691/11(1)/13-131(अधे०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री मनमोहन सिंह ऐरी का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 57 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 57 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमवाली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी वया स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हों। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुरूप श्री मनमोहन सिंह ऐरी की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। अतः उपरोक्तानुसार श्री मनमोहन सिंह ऐरी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 21.08.2015 का निरस्त किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
39	श्री गोधन सिंह मनराल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / प्र०ख०, अल्मोड़ा	828	श्री गोधन सिंह मनराल, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उनका चयन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु चयन हुआ था। किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका चयन सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु हुआ। पुनः मा० न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.2013 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में 2011 में प्राप्तकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के कार्यालय द्वारा मंत्री पूर्व सेवा को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ भी प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/164 /ई-2/ 2005 -06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या- 83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 28.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री गोधन सिंह मनराल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री गोधन सिंह मनराल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1691/111(1)/13-131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री गोधन सिंह मनराल का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 102 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 102 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप श्री गोधन सिंह मनराल की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रेग्यूलेशन के नियम 422 एवं वित्त हस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22-सी के अन्तर्गत सेवा नैवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई-सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री गोधन सिंह मनराल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 07.07.2015 का निस्तारण किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
40	श्री प्रकाश चन्द्र पन्त कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / प्रोजेक्ट, अल्मोड़ा	803	श्री प्रकाश चन्द्र पन्त, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उनका चयन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु चयन हुआ था। किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका चयन सिविल विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु हुआ। पुनः मा० न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.2013 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में 2011 में प्राप्तकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के कार्यालय द्वारा भरी पूर्व सेवा को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ भी प्रदान किया गया। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/164 /ई-2/ 2005 -06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या- 83/2011 याचकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 28.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करके हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लोक निर्माण हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री प्रकाश चन्द्र पन्त कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री प्रकाश चन्द्र पन्त मनराल कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 108/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1691/111(1)/13-131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री प्रकाश चन्द्र पन्त का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 77 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 77 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी क्या स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुरूप श्री प्रकाश चन्द्र पन्त की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। पूर्व विभाग में की गई सेवाओं का लाभ (सिविल) सर्विस रैग्यूलेशन के नियम 422 एवं दिला हस्त पुस्तिका भाग-2 (2-4) के नियम 22 सी के अन्तर्गत सेवा नैवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि हेतु जोड़ जाने एवं वेतन निर्धारण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार श्री प्रकाश चन्द्र पन्त कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 07.07.2015 का निस्तारण किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
41	श्री गोविन्द सिंह महारा कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / मि०ख०, कपकोट	756	श्री गोविन्द सिंह महारा, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उनका चयन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु चयन हुआ था। किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका चयन सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु हुआ। पुनः मा० न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.2013 को संशोधित घोषित अन्तिम परिणाम के द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में 2011 में प्राप्तकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई है। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/164 /ई-2/ 2005-06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या- 83/2011 बालकृष्ण व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट या० संख्या- 1053/2011 पदम सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०वि० हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री गोविन्द सिंह महारा कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री गोविन्द सिंह महारा कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या- 1691/111(1)/13-131(अभि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री गोविन्द सिंह महारा का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 29 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 29 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण नियम-8 के 2 (ख) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी क्या स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई ज्येष्ठता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप श्री गोविन्द सिंह महारा की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। अतः उपरोक्तानुसार श्री गोविन्द सिंह महारा कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 02.07.2015 का निस्तारण किया जाता है।

क्र.सं.	नाम/ पदनाम/तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
42	श्री मनीष वर्मा कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) / प्रा०ख०, अल्मोड़ा	747	श्री मनीष वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) द्वारा अवगत कराया है कि उनका चयन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.05.11 को घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु चयन हुआ था। किन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में दिनांक 03.08.11 को संशोधित परीक्षा परिणाम में उनका चयन लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) हेतु हुआ। पुनः मा० न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 24.07.2013 को संशोधित घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के द्वारा प्रार्थी का पुनः पूर्व में 2011 में प्राप्तकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु चयन हुआ, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या-723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से नियुक्ति प्रदान की गई है। उक्त क्रम में इनके द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 मई 2011 द्वारा घोषित अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। तथा यह सम्भव न हो तो प्रार्थी की कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) के पद पर पूर्व में की गयी नियुक्ति को यथावत मानते हुए कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) के पद पर चयन के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारित करने का भी अनुरोध किया गया है।	लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1661/184 /ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.11 द्वारा पूर्व में अपने दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के विरुद्ध दायर विशेष याचिका संख्या- 83/2011 शलकुण्ड व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.11 के अनुपालन में उक्त चयन परिणाम (दिनांक 15.05.11) को संशोधित कर दिनांक 03.08.11 को संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 57 अभ्यर्थियों का चयन लोक निर्माण विभाग हेतु किया गया, पुनः लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3193/04 ई०-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012 के द्वारा रिट मा० संख्या-1053/2011 पवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 07.02.2011 के अन्तर्गत आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.09.11 को संशोधित करते हुए 69 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का लो०नि०को हेतु चयन किया गया, जिसमें श्री मनीष वर्मा कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु चयन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 15.05.11 के चयन घोषित परिणाम के आधार पर श्री मनीष वर्मा कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पद पर योगदान करने के फलस्वरूप कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) की ज्येष्ठता दिया जाना सम्भव नहीं है। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- 106/12 ई-02 (जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.13 से शासन को प्रेषित चयन सूची जो शासन से पत्र संख्या-1691/11(1)/13-131(अधि०)/06 टी०सी० दिनांक 31.07.13 से इस कार्यालय को प्रेषित है, जिसमें श्री मनीष वर्मा का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर क्रमांक 20 पर हुआ है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013 से इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) हेतु किये गये चयन क्रमांक 20 के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली 2007 के नियम-22 के अनुसार, ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित किये जाने का उल्लेख है। ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 नियम-5 के अनुसार ज्येष्ठता का अन्वयान नियम-8 के 2 (क) में नियत है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। उपरोक्त सेवा नियमावली एवं ज्येष्ठता नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुरूप श्री मनीष वर्मा की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। अतः उपरोक्तानुसार श्री मनीष वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) के पत्र दिनांक 06.07.2015 का निस्तारण किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
43	श्री हिमांशु पाण्डे कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) तदर्थ/ अ०ख०, धकराता		ज्येष्ठता सूची में नाम सम्मिलित करने का अनुरोध किया है।	श्री हिमांशु पाण्डे, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) तदर्थ की शासनादेश सं० 2708/23-4-89-118 एन०जी०/82 दिनांक 4.05.89 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर तदर्थ पदोन्नति की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सि०/प्रा०/वि०/ या०) नियमावली 2007 के भाग-03 भर्ती का श्रोत-05 में स्पष्ट उल्लेख है के सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी। अतः आयोग से अनुमोदन उपरान्त ही इनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।
44	श्री सन्दीप वर्मा कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) तदर्थ/ नि०ख०, देहरादून		ज्येष्ठता सूची में नाम सम्मिलित करने का अनुरोध किया है।	श्री सन्दीप वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) तदर्थ की शासनादेश सं० 2708/23-4-89-118 एन०जी०/82 दिनांक 4.05.89 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर तदर्थ पदोन्नति की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सि०/प्रा०/वि०/ या०) नियमावली 2007 के भाग-03 भर्ती का श्रोत-05 में स्पष्ट उल्लेख है के सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी। अतः आयोग से अनुमोदन उपरान्त ही इनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।
45	श्री अनुप कुमार सकलानी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) तदर्थ / नि०ख०, नरेन्द्रनगर		ज्येष्ठता सूची में नाम सम्मिलित करने का अनुरोध किया है।	श्री अनुप कुमार सकलानी, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) तदर्थ की शासनादेश सं० 2708/23-4-89-118 एन०जी०/82 दिनांक 4.05.89 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर तदर्थ पदोन्नति की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सि०/प्रा०/वि०/ या०) नियमावली 2007 के भाग-03 भर्ती का श्रोत-05 में स्पष्ट उल्लेख है के सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी। अतः आयोग से अनुमोदन उपरान्त ही इनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

जी

27/05

क्र० नं०	नाम/ पदनाम/ तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) अन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	अन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
46	श्री सन्दीप कुमार कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) तदर्थ/ पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड नरेन्द्रनगर		ज्येष्ठता सूची में नाम सम्मिलित करने का अनुरोध किया है।	श्री सन्दीप कुमार कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) तदर्थ की शासनादेश सं० 2708/23-4-89-118 एन०जी०/82 दिनांक 4.05.89 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर तदर्थ पदोन्नति की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सि०/प्रा०/वि०/या०) नियमावली 2007 के भाग-03 भर्ती का श्रोत-05 में स्पष्ट उल्लेख है के सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी। इनका लोक सेवा आयोग से अनुमोदन प्राप्त नहीं है। अतः आयोग से अनुमोदन उपरान्त ही इनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।
47	श्री ललित मोहन खत्री कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) तदर्थ/ प्रा०ख० टिहरी		ज्येष्ठता सूची में नाम सम्मिलित करने का अनुरोध किया है।	श्री ललित मोहन खत्री कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) तदर्थ की शासनादेश सं० 2708/23-4-89-118 एन०जी०/82 दिनांक 4.05.89 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर तदर्थ पदोन्नति की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सि०/प्रा०/वि०/या०) नियमावली 2007 के भाग-03 भर्ती का श्रोत-05 में स्पष्ट उल्लेख है के सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी। अतः आयोग से अनुमोदन उपरान्त ही इनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।
48	श्री विनोद कुमार रतूड़ी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) तदर्थ/ ए०डी०बी० (आपदा) खण्ड रुद्रप्रयाग		ज्येष्ठता सूची में नाम सम्मिलित करने का अनुरोध किया है।	श्री विनोद कुमार रतूड़ी कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) तदर्थ की शासनादेश सं० 2708/23-4-89-118 एन०जी०/82 दिनांक 4.05.89 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर तदर्थ पदोन्नति की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सि०/प्रा०/वि०/या०) नियमावली 2007 के भाग-03 भर्ती का श्रोत-05 में स्पष्ट उल्लेख है के सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी। अतः आयोग से अनुमोदन उपरान्त ही इनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।
49	श्री ललित चौहान कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) तदर्थ/ अ०ख०, चकराता		ज्येष्ठता सूची में नाम सम्मिलित करने का अनुरोध किया है।	श्री ललित चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०) तदर्थ की शासनादेश सं० 2708/23-4-89-118 एन०जी०/82 दिनांक 4.05.89 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर तदर्थ पदोन्नति की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (सि०/प्रा०/वि०/या०) नियमावली 2007 के भाग-03 भर्ती का श्रोत-05 में स्पष्ट उल्लेख है के सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी। अतः आयोग से अनुमोदन उपरान्त ही इनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

अतः समिति की संस्तुति के आधार पर कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची क्रमांक 658 से 935 तक (तृतीय भाग) एतद्वारा प्रख्यापित की जाती है।

(एच०के० उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को अन्तिम ज्येष्ठता सूची की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग,.....।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग,..... को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ खण्डीय कार्यालयों को परिचालित कराते हुये समस्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) को भी परिचालित (सर्कुलेट) करायी जाय।
4. प्रान्तीय अध्यक्ष/ महामंत्री, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ।
5. प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन क वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय को अभिलेख हेतु।

संलग्न:- यथोक्त

अन्तिम ज्येष्ठता सूची (भाग-3)

(क्रमांक- 658 से 935 तक)

प्रमुख अभियन्ता
23/3

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

क्र.सं.	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
836	133	सटीक वजन	सटीक वजन	सटीक वजन	25.04.20	सामान्य	सामान्य	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	722/28 वजन-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
837	134	सटीक वजन	सटीक वजन	सटीक वजन	24.07.89	सामान्य	सामान्य	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 वजन-सामान्य/13 दिनांक 03.08.2013	
838	135	सटीक वजन	सटीक वजन	सटीक वजन	20.05.89	सामान्य	सामान्य	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 वजन-सामान्य/13 दिनांक 04.08.2013	
839	136	सटीक वजन	सटीक वजन	सटीक वजन	02.06.74	सामान्य	सामान्य	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	724/28 वजन-सामान्य/13 दिनांक 06.08.2013	
840	137	सटीक वजन	सटीक वजन	सटीक वजन	08.11.82	सामान्य	सामान्य	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	724/28 वजन-सामान्य/13 दिनांक 07.08.2013	
841	138	सटीक वजन	सटीक वजन	सटीक वजन	30.07.80	सामान्य	सामान्य/01 अक्षर	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	725/28 वजन-सामान्य/13 दिनांक 08.08.2013	
842	139	सटीक वजन	सटीक वजन	सटीक वजन	32.12.80	सामान्य	सामान्य	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	725/28 वजन-सामान्य/13 दिनांक 09.08.2013	
843	140	सटीक वजन	सटीक वजन	सटीक वजन	10.08.89	सामान्य	सामान्य	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	725/28 वजन-सामान्य/13 दिनांक 10.08.2013	
844	141	सटीक वजन	सटीक वजन	सटीक वजन	20.05.89	सामान्य	सामान्य	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	725/28 वजन-सामान्य/13 दिनांक 11.08.2013	
845	142	सटीक वजन	सटीक वजन	सटीक वजन	09.07.87	सामान्य	सामान्य	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	725/28 वजन-सामान्य/13 दिनांक 12.08.2013	
846	143	सटीक वजन	सटीक वजन	सटीक वजन	01.07.88	सामान्य	सामान्य	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	725/28 वजन-सामान्य/13 दिनांक 13.08.2013	
847	144	सटीक वजन	सटीक वजन	सटीक वजन	01.07.88	सामान्य	सामान्य	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	725/28 वजन-सामान्य/13 दिनांक 14.08.2013	
848	145	सटीक वजन	सटीक वजन	सटीक वजन	01.08.89	सामान्य	सामान्य/02 अक्षर	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	726/28 वजन-सामान्य/13 दिनांक 15.08.2013	
849	146	सटीक वजन	सटीक वजन	सटीक वजन	14.08.89	सामान्य	सामान्य	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	726/28 वजन-सामान्य/13 दिनांक 16.08.2013	
850	147	सटीक वजन	सटीक वजन	सटीक वजन	25.11.89	सामान्य	सामान्य	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	726/28 वजन-सामान्य/13 दिनांक 17.08.2013	

क्र.सं.	परीक्षार्थी का नाम	पद (अ/स/सहायक/सहायक)	विषय का नाम (अ/स)	वर्ग	संख्या	अंतिम	अंतिम दिनांक परीक्षा का दिन	परीक्षार्थी का नाम	परीक्षा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	148	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता (सि)	12.02.90	सहायक	सहायक	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	802/28 सहा-सहायक/13 दिनांक 24.07.2013	
852	149	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता (सि)	23.07.89	सहायक	सहायक	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 सहा-सहायक/13 दिनांक 24.07.2013	
853	150	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता (सि)	25.08.89	सहायक	सहायक	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	826/28 सहा-सहायक/13 दिनांक 24.07.2013	
854	151	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता (सि)	03.06.79	सहायक	सहायक	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	725/28 सहा-सहायक/13 दिनांक 24.07.2013	
855	152	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता (सि)	22.08.89	सहायक	सहायक/सहायक	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 सहा-सहायक/13 दिनांक 24.07.2013	
856	153	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता (सि)	07.08.89	सहायक	सहायक	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 सहा-सहायक/13 दिनांक 24.07.2013	
857	154	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता (सि)	23.08.89	सहायक	सहायक	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 सहा-सहायक/13 दिनांक 24.07.2013	
858	155	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता (सि)	03.07.89	सहायक	सहायक	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 सहा-सहायक/13 दिनांक 24.07.2013	
859	156	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता (सि)	01.10.89	सहायक	सहायक	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 सहा-सहायक/13 दिनांक 24.07.2013	
860	157	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता (सि)	07.07.81	सहायक	सहायक	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	727/28 सहा-सहायक/13 दिनांक 24.07.2013	
861	158	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता (सि)	23.12.77	सहायक	सहायक	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	725/28 सहा-सहायक/13 दिनांक 24.07.2013	
862	159	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता (सि)	24.03.89	सहायक	सहायक	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	828/28 सहा-सहायक/13 दिनांक 24.07.2013	
863	160	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता (सि)	20.12.89	सहायक	सहायक/सहायक	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	727/28 सहा-सहायक/13 दिनांक 24.07.2013	
864	161	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता (सि)	03.07.84	सहायक	सहायक	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 सहा-सहायक/13 दिनांक 24.07.2013	
865	162	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता (सि)	08.10.85	सहायक	सहायक	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 सहा-सहायक/13 दिनांक 24.07.2013	
866	163	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता (सि)	21.08.89	सहायक	सहायक	100/12/10-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 सहा-सहायक/13 दिनांक 24.07.2013	

/

/

[illegible]

[illegible]

[illegible]

क्र.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	228	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.
101	229	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.
102	230	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.
103	231	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.
104	232	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.
105	233	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.
106	234	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.
107	235	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.
108	236	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.
109	237	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.
110	238	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.

(सं.सं. सं.सं.)

सं.सं. सं.सं.